

भाग-1

संचार साधनों के पूर्णतया बाधित होने के दौरान (डबल) लाइन पर
गाड़ियों के कार्य चालन के नियम और विनियम

1. दोहरी (डबल) लाइन सेक्शन पर दो स्टेशनों के बीच संदेश भेजने में पूर्ण बाधा उत्पन्न हो जाने पर अर्थात् जब निम्नलिखित साधनों में से जो कि प्राथमिकता के क्रम में दिये गये हैं उदाहरणार्थ :

- (i) ब्लाक यंत्र, रेल पथ परिपथ अथवा धूरा काउन्टर
- (ii) ब्लाक यंत्र, से सम्बद्ध टेलीफोन,
- (iii) स्टेशनों के मध्य लगे स्थिर फोन (जहाँ उपलब्ध है)
- (iv) स्थिर फोन जैसे रेलवे ऑटो फोन, बी.एस.एन.एल. टेलीफोन
- (v) नियंत्रक टेलीफोन
- (vi) वी.एच.एफ. सेट, विशेष अनुदेश के अधीन, परन्तु उन खण्डों पर जहाँ यात्री गाड़ियों का संचलन होता है, संचार के एक मात्र साधन के रूप में इनका प्रयोग वर्जित है।

नोट: क- उपरोक्त वर्णित वरीयता का क्रम का किसी भी परिस्थिति में अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए।

ख- वी.एच.एफ. सेट पर लाइन क्लियर लेते/देते समय निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए:-

- (i) लाइन क्लियर लेते/देते समय पहले गयी तीन गाड़ियों का विवरण, लाइन क्लियर प्राप्त होने का समय, प्राइवेट नम्बर ब्लॉक खण्ड बाधित होने एवं साफ होने के समय के साथ लिया जायेगा।
- (ii) लाइन क्लियर तभी लिया/दिया जाना चाहिए जब वी.एच.एफ. सेट पर आवाज एकदम साफ हो। वी.एच.एफ. सेट इस हेतु तब नहीं प्रयोग किये जाने चाहिए जब आवाज में भार हो, घरघराहट हो अथवा हल्की/रुक-रुक कर आवाज आ रही हो।
- (iii) वी.एच.एफ. सेट पर लाइन क्लियर लेते/देते समय किसी संशय की स्थिति में इसका प्रयोग तत्काल रोक दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर नियमानुसार गाड़ियों के संरक्षित संचलन हेतु उत्तरदायी होगा।
- (iv) वी.एच.एफ. सेट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लियर लिया जा सकता है। इसके पश्चात केवल यातायात निरीक्षक/पर्यवेक्षक स्टेशन मास्टर अथवा निकटस्थ पर्यवेक्षक स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लियर लिया जा सकता है।

गाड़ी संचलन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी:-

2. किसी भी गाड़ी को अगले ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने की आज्ञा देने से पहले उसे स्टेशन पर रोक दिया जायेगा तथा गार्ड और लोको पायलट ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर द्वारा परिस्थितियों से अवगत कराये जायेंगे।
3. स्टेशन मास्टर प्रत्येक गाड़ी के लोको पायलट को निर्धारित फार्म टी/सी 602 पर डबल लाइन खण्ड पर संचार साधनों के विफलता की दशा में कार्य करने हेतु एक प्राधिकार देगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा:-
 - (क) 'बिना लाइन क्लियर प्रस्थान' प्राधिकार
 - (ख) सीधी लाइन पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे के प्रतिबन्ध तथा जहाँ गोलाई, रूकावट, वर्षा, कुहरे या किसी अन्य कारण से लाइन के आगे का भाग स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़े तो उस

PART-I**RULES AND REGULATIONS FOR WORKING OF TRAINS DURING TOTAL INTRUPTION OF COMMUNICATIONS ON DOUBLE LINE SECTIONS.**

1. In the event of total interruptions of communications occurring between two stations on a double line section, i.e. when line clear cannot be obtained by any one of the following means stated in the order of preference viz.

- (i) Block instrument, Track circuiting or Axle counters;
- (ii) Telephones attached to the block instruments.
- (iii) Station to station fixed telephones wherever available.
- (iv) Fixed telephone such as railway auto phones & BSNL telephones
- (v) Control Telephone;
- (vi) VHF sets, under special instructions, but not as the sole means of communication on sections where passenger trains run.

Note : A. The order of preference as mentioned above, should not be violated under any circumstances.

B. At the time of obtaining/granting line clear on VHF set the following instructions should be observed: -

- (i) Details of preceding three trains should be taken at the time of obtaining/granting line clear including time of line clear received, private nos. with time of occupying and clearing block section.
- (ii) VHF sets should not be used for this purpose whenever any induction in noised, disturbance or faint/broken voice is noticed on VHF set.
- (iii) In case of any doubt while obtaining/granting line clear on VHF set, it's use must be stopped forth with. In such situation SM/ASM on duty will be responsible for the safe working of trains as per rules.
- (iv) Line clear for three trains only can be obtained on VHF sets. For further trains line clear should be obtained/given only in presence of sectional TI/Supervisory SM or neighboring supervisory SM.

The following procedure shall be adopted for train passing:

2. Before any train is allowed to enter a block section in advance, it shall be brought to a stop and the Loco Pilot and the Guard of the train shall be advised of the circumstances by the Station Master on duty.
3. The Station Master shall give any authority for working of trains during total interruption of communication of double line section on prescribed form no. T/C 602 to the Loco Pilot of each train which shall include: -
 - (a) an "authority to proceed without line clear".
 - (b) A caution order restricting the speed to 25 kilometers per hour over the straight and to 10 kilometers per hour when approaching or passing any portion of the

भाग पर पहुँचते हुए या उस पर गुजरते हुए 10 किलोमीटर प्रति घंटे के प्रतिबन्ध का 'सतर्कता आदेश'।

- (ग) अन्तिम रोक (स्टाप) सिगनल को 'आन' स्थिति में पास करने के लिए प्राधिकार।
4. जब लोको पायलट लाइन के उस भाग के निकट आ रहा हो या उस पर से गुजर रहा हो, जिस पर आगे की ओर स्पष्ट दिखलाई न पड़ता हो तो किसी रेलवे कर्मचारी को हँड सिगनल के साथ गाड़ी के आगे पथ-निर्देश करने के लिए भेजना चाहिए। लोको पायलट को आगे की ओर चौकसी रखना चाहिए और बार-बार इंजन की सीटी बजानी चाहिए।
 5. किसी भी गाड़ी को ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने की आज्ञा तब तक नहीं दी जायेगी जब तक कि प्रस्थान करने वाली गाड़ी और पहले प्रस्थान कर छूटने वाली गाड़ी के बीच 30 मिनट का समय न बीत गया हो।
 6. अन्तिम रोक (स्टाप) सिगनल के अतिरिक्त सभी स्थायी सिगनल गाड़ियों के प्रवेश और प्रस्थान के लिए 'आफ' किये जायेंगे, परन्तु प्रथम रोक (स्टाप) सिगनल तभी 'आफ' किया जायेगा जब कि गाड़ी उसके बाहर खड़ी कर दी गयी हो।
 7. सुरंग (टनल) में तभी प्रवेश करना चाहिए जब यह निश्चित कर लिया गया हो कि सुरंग खाली है। यदि इसमें कोई आशंका हो तो गाड़ी हाथ सिगनल और पटाखों से सज्जित रेलवे कर्मचारी द्वारा पाइलट की जानी चाहिए।
 8. गार्ड पीछे की ओर से चौकसी रखेगा और पीछे की ओर से किसी गाड़ी के सन्निकट आने से बचाव के लिए खतरा सिगनल प्रदर्शित करने के लिए तैयार रहेगा तथा यदि आवश्यक हो तो गाड़ी की संरक्षा के लिए तैयार रहेगा।
 9. जब किसी गाड़ी को ब्लाक सेक्शन में रोका जाता है तो गार्ड तुरन्त पीछे की ओर हँड डैजर सिगनल दिखायेगा और जाँच करेगा कि पिछला बत्ती ठीक प्रकार से लगायी गयी है। यदि गाड़ी किसी दुर्घटना खराबी, अवरोध या अन्य असामान्य कारण से रूकती है और आगे नहीं बढ़ सकती है तो लोको पायलट गार्ड को इस तथ्य से अवगत कराने के लिए निर्धारित कूट में सीटी बजायेगा तदन्तर गार्ड, आवाज का ध्यान किये बिना, गाड़ी से 250 मीटर की दूरी पर एक पटाखा रखकर और गाड़ी से 500 मीटर दूर 10 मीटर की दूरी पर 2 पटाखे रखकर गाड़ी की रक्षा करेगा। जब किसी गाड़ी को सिगनलों से बाहर रोका जाता है और यदि रूकाई अधिक हो रही हो या 10 मिनट से अधिक होने की संभावना हो तो इसकी भी रक्षा तदनुसार ही की जायेगी। गार्ड की अनुपस्थिति में गाड़ी की रक्षा की जिम्मेदारी लोको पायलट निभायेगा।
 10. किसी भी गाड़ी को पीछे नहीं ले जाया जायेगा। आपवादिक परिस्थितियों में जब किसी गाड़ी को पीछे की ओर ले जाया जाना अपरिहार्य हो जाये तो 250 मीटर पर एक पटाखा रखकर और उस स्थान से, जहाँ तक गाड़ी को पीछे ले जाया जाना है, 500 मीटर पर, 10 मीटर की दूरी पर दो पटाखे रखकर गाड़ी की रक्षा करने के पश्चात् ही गाड़ी को पीछे ले जाया जायेगा।
 11. किसी सुरंग में प्रवेश करने से पूर्व प्रमुख बत्तियाँ अगली और पिछली (टेल) बत्तियों तथा अन्य बत्तियों (जहाँ उपलब्ध कराई गयी हो) भी जला दी जायेगी।
 12. अगले स्टेशन के निकट पहुँचकर लोको पायलट अपनी गाड़ी को प्रथम रोक (स्टाप) सिगनल के बाहर रोक देगा और लगातार सीटियों (या विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित कोई दूसरा संकेत) देगा। यदि स्टेशन से 10 मिनट के अन्तर्गत कोई व्यक्ति न आवे तो उपर्युक्त पैरा 9 के अनुसार गाड़ी की रक्षा की जायेगी और उसके पश्चात् लोको पायलट शीघ्र अपने सहायक लोको पायलट को स्टेशन या केबिन पर स्टेशन मास्टर या कैबिनमैन को यह सूचित करने के लिए भेज सकता है कि गाड़ी स्टेशन में प्रवेश करने के लिए सिगनल पर प्रतीक्षा कर रही है सहायक लोको पायलट की अनुपस्थिति में गार्ड, गाड़ी की रक्षा करने के पश्चात्, यह सूचना देगा।
 13. सभी गाड़ियों के लोको पायलट, प्रभावित सेक्शन के दूसरे ओर के स्टेशन के स्टेशन मास्टर को "बिना लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार" सौंप देंगे। स्टेशन मास्टर इन सबको सेक्शन के

line where the view ahead is not clear due to curve, obstruction, rain, fog or any other causes;

- (c) An authority to pass the last Stop signal in the 'ON' position.
4. In the event of a Loco Pilot, approaching or passing any portion of the line where the view ahead is not clear, a railway employee with hand signals must be sent in advance to guide the further movement of the train. A sharp look out ahead should be kept and the engine whistle freely used.
 5. No train shall be allowed to enter the block section until there is a clear interval of 30 minutes between the train about to leave and the train which has immediately preceded.
 6. Fixed signals with the exception of the last Stop signal may be taken off for the reception and departure of trains. The first Stop signal shall, however, be taken "off" only after the train has been brought to a stand outside it.
 7. A tunnel should be entered only after it has been ascertained that it is clear. If there is any doubt on this point, the train should be piloted by a railway employee equipped with hand signals and detonators.
 8. The Guard shall keep a sharp look out in the rear and be prepared to exhibit a hand Danger signal to prevent the approach of a train from the rear and to protect it if necessary.
 9. When a train is stopped in the block section the Guard shall immediately exhibit a hand danger signal towards the rear and check up that the tail board or the tail light is correctly exhibited. If the stoppage is on account of accident, failure, obstruction or other exceptional cause and the train cannot proceed, the Loco Pilot shall sound the prescribed code of whistle to apprise the Guard of the fact, whereupon the Guard shall protect the train by placing one detonator at 250 meters from the train on the way out and 2 detonators, 10 meters apart, at 500 meters from the train, irrespective of the gauge. When a train is detained outside signals and if the detention exceeds or is likely to exceed 10 minutes it shall also be protected accordingly. In the absence of the Guard the duty of protecting the train shall devolve on the Loco Pilot.
 10. No train shall be backed. In exceptional circumstances when it may be unavoidable to back a train, the train shall be backed only after providing protection by placing one detonator at 250 meters and two detonators 10 meters apart, at 500 meters in rear of the point upto which the train is to be backed.
 11. Before entering a tunnel, the head lights, side and tail lights and other lights (where provided) shall also be lit.
 12. When approaching the station ahead, the Loco Pilot must bring his train to a stop outside the first Stop signal and sound continuous whistle (or any other code prescribed by special instructions). If no one from the station turns up within 10 minutes, the train shall be protected as per Para 9 above and the Loco Pilot may send his Assistant Loco Pilot immediately thereafter, to the station or the cabin to inform the Station Master or Cabinman of the fact that the train is waiting at the signal for its admission into the station. In the absence of the Assistant Loco Pilot, the Guard, after protecting the train, shall give this information.
 13. The Loco Pilots of all trains shall make over the "Authority to Proceed without line Clear" to the Station Master of the station at the other end of the effected section. These

- यातायात निरीक्षक के निरीक्षण के लिए अपने संरक्षण में रखेगा/यातायात निरीक्षक संचार साधन के चालू होने के 7 दिन के अन्दर मण्डल रेल प्रबन्धक के पास गाड़ियों के कार्य चालन के विषय में रिपोर्ट बनाकर भेज देगा।
14. दोनों सम्बन्धित स्टेशनों पर गाड़ी रजिस्टर पुस्तक में संचार साधन के पूर्ण बाधा काल में "बिना लाइन क्लियर प्रस्थान प्राधिकार" ब्लॉक सेक्शन पास की गयी सभी गाड़ियों का रिकार्ड रखा जाना चाहिए।
15. उपरोक्त नियम (1) में वर्णित संचार साधनों में से जब तक कोई एक साधन सक्षम अधिकारी द्वारा पुनः चालू न किया जाय तब तक गाड़ियाँ उक्त रीति द्वारा चलाई जानी चाहिए।
16. जब संचार साधनों में से कोई एक साधन पुनः चालू हो जाये तो स्टेशन मास्टर को सेक्शन के दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर के पास निम्नलिखित रूप में संदेश भेजना चाहिए।
- स्टेशन मास्टर से..... स्टेशन मास्टर को.....
 संख्या.....गाड़ी (संख्या और विवरण).....बजे सम्पूर्ण आ गई।
 आपके स्टेशन को अन्तिम गाड़ी..... समय पर भेजी गयी थी।
 प्राइवेट नम्बर (शब्दों में).....अंकों में

उपरोक्त संदेश मिलने पर ब्लाक सेक्शन के दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को इसकी पावती निम्नलिखित रूप में देनी चाहिए।

स्टेशन मास्टर से स्टेशन मास्टर को

संख्या

आपकी संख्या पता लगा है कि (गाड़ी संख्या और विवरण) जो मेरे स्टेशन से प्रस्थान करने वाली अन्तिम गाड़ी थी आपके स्टेशन पर सम्पूर्ण आ गयी है। गाड़ी संख्या जो आपके स्टेशन से रवाना हुई थी। मेरे स्टेशन पर बजे सम्पूर्ण आ गयी है/नहीं आई है। कार्य चालन की वर्तमान पद्धति गाड़ी संख्या आ जाने के पश्चात शीघ्र रद्द कर दी जा रही है/कर दी जायेगी। अगली गाड़ी के लिए आगमन अनुमति साधन से की जायेगी। प्राइवेट नम्बर (शब्दों में) (अंकों में)

17. जब तक दोनों ओर के स्टेशन मास्टर इस बात से सन्तुष्ट न हो जाय कि उनके स्टेशन से छूटने वाली गाड़ियाँ और इंजन आदि दूसरी ओर के स्टेशन पर सम्पूर्ण पहुँच गये हैं तब तक उन्हें आगमन अनुमति पुनः चालू किये गये संचार साधनों पर न तो दी जायेगी और नहीं ली जायेगी। संचार साधनों के पुनः चालू हो जाने के बाद जब उपरोक्त पैरा 16 के अनुसार स्टेशन पर गाड़ियाँ सम्पूर्ण आ जायें तो उनकी संख्या और आगमन के समय की सूचना दूसरे सम्बन्धित स्टेशन मास्टर को दी जायेगी और प्राइवेट नम्बरो का आदान-प्रदान किया जायेगा। इसके पश्चात सेक्शन नियंत्रक के साथ भी संचार-साधन पुनः चालू हो गये हो और सामान्य कार्य प्रारम्भ हो गया हो तो उसकी सूचना नियंत्रित सेक्शनों पर सेक्शन नियंत्रक (कन्ट्रोलर) को दी जायेगी। तथापि यदि दो स्टेशनों के बीच संचार साधनों के पुनः चालू होने के साथ-साथ सेक्शन नियंत्रक के साथ भी संचार साधन पुनः चालू न जो जाय तो सेक्शन नियंत्रक के साथ संचार साधन पुनः चालू होने पर तुरन्त स्थिति से अवगत कराया जायेगा।

- shall be kept by the Station Master in his safe custody for inspection by the Traffic Inspector of the section, who shall prepare a report on the working of trains and shall forward the same along with his report to the Divisional Railway Manager within 7 days of resumption of communications.
14. A record of all trains passed over the block section on "Authority to Proceed without Line Clear" during the course of total interruption of communications, shall be maintained on the Train Register Books at both the stations concerned.
 15. Trains must continue to work on this system until any one of the means of communications, mentioned in rule(1) above, is restored by the competent authority.
 16. As soon as any one of the means of communications has been restored, the Station Master must send a Message to the Station Master at the other end of the section on the following format: -
 From Station Master-----To Station Master -----Message No. -----
 ----- Train(number of description)----- arrived complete at ----- hrs
 ----- mts. Cancel the present method of working trains. Line Clear must be obtained
 by means of ----- Acknowledge. Private No. ----- (in word) -----
 ----- (in figures)

On receipt of the above Message the Station Master at the other end of the section must acknowledge in the following form: -

From Station Master..... To Station Master.....
 Message No. ----- Your Message No. ----- Understand that Train (No. and
 description) ----- which was the last train to leave my station has arrived
 complete at your station. Train No. ----- which left your station has arrived
 complete at my station at ----- Hrs ----- mts. hrs/not arrived. Present system
 of train working is being/will be cancelled immediately after the complete arrival of
 train No., ----- . Line Clear for the next train will be obtained by means of -----
 Private No. ----- (in words) ----- (in figures)

-
17. Line clear shall not be obtained or given by means of communications restored until both the stations are satisfied that all trains and engines etc. dispatched from their stations have arrived complete at the other station. When the trains referred to in part(16) above arrive complete at the station, after restoration of communication, their No. and their arrival time will be communicated to the other Station Master concerned under exchange of Private Numbers. Thereafter an intimation about this shall be given to Section Controller also, on controlled sections, if communication with the Section Controller has also got restored and normal working resumed. If however communication with Section Controller has not get restored along with restoration of communications between two stations, the Section Controller shall be advised of the position immediately on restoration of communication with him.

भाग- II

इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित हो जाने के दौरान गाड़ियों के कार्य चालन के लिए नियम और विनियम:-

1. दो ब्लाक सेक्शनों के बीच संचार साधनों के पूर्णतः बाधित हो जाने पर अर्थात् जब निम्नलिखित साधनों से जो कि अधिमानता के क्रम से दिये गये हैं। उदाहरणार्थ-
 - i. ब्लाक इन्सटूमेंट, रेल पथ परिपथ अथवा धूरा काउन्टर
 - ii. ब्लाक इन्सटूमेंट, से सम्बन्धित टेलीफोन,
 - iii. स्टेशनों के मध्य लगे स्थिर फोन
 - iv. स्थिर फोन जैसे रेलवे ऑटो फोन, बी.एस.एन.एल. टेलीफोन
 - v. नियंत्रण टेलीफोन
 - vi. वी.एच.एफ. सेट, विशेष अनुदेश के अधीन, परन्तु उन खण्डों पर जहाँ यात्री गाड़ियों का संचलन होता है, संचार के एकमात्र साधन के रूप में इनका प्रयोग वर्जित है।

नोट: क. उपरोक्त वर्णित वरीयता का क्रम का किसी भी परिस्थिति में अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए।

ख. वी.एच.एफ. सेट पर लाइन क्लियर लेते/देते समय निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए:-

 - (i) लाइन क्लियर लेते/देते समय पहले गयी तीन गाड़ियों का विवरण, लाइन क्लियर प्राप्त होने का समय, प्राइवेट नम्बर ब्लॉक खण्ड बाधित होने एवं साफ होने के समय के साथ लिया जायेगा।
 - (ii) लाइन क्लियर तभी लिया/दिया जाना चाहिए जब वी.एच.एफ. सेट पर आवाज एकदम साफ हो। वी.एच.एफ. सेट इस हेतु तब प्रयोग नहीं किये जाने चाहिए जब आवाज में भार हो, घरघराहट हो अथवा हल्की/रुक-रुक कर आवाज आ रही हो।
 - (iii) वी.एच.एफ. सेट पर लाइन क्लियर लेते/देते समय किसी संशय की स्थिति में इसका प्रयोग तत्काल रोक दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर नियमानुसार गाड़ियों के संरक्षित संचलन हेतु उत्तरदायी होगा।
 - (iv) वी.एच.एफ. सेट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लियर लिया जा सकता है। इसके पश्चात केवल यातायात निरीक्षक/पर्यवेक्षक स्टेशन मास्टर अथवा निकटस्थ पर्यवेक्षक स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लियर लिया जा सकता है। ब्लाक स्टेशनों के बीच गाड़ियों के कार्य चालन के लिए आगामी पैराग्राफों में से निर्धारित अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

टिप्पणी- संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने के दौरान जब कभी गाड़ी या रेलपथ के दुर्घटनाग्रस्त होने या किसी अन्य बाधा के कारण दोहरी लाइन खण्ड की किसी एक लाइन का प्रयोग न हो सके अथवा जब कभी दोहरी खण्ड पर इकहरी लाइन कार्यप्रणाली के दौरान संचार साधन पूर्णतः बाधित हो तो भी इन अनुदेशों का पालन किया जायेगा।
2. स्टेशन मास्टर जिसे प्रभावित ब्लाक सेक्शन से कोई गाड़ी भेजने हो कोई इंजन अथवा स्वनोदित वाहन अथवा अधिमानता के क्रम से नीचे दिये गये किसी अन्य वाहन को प्रभावित ब्लाक सेक्शन के दूसरे छोर पर भेजकर ब्लाक सेक्शन के स्टेशन मास्टर के साथ सम्बन्ध स्थापित कर संचार साधन चालू करेगा।

PART-II**RULES AND REGULATIONS FOR WORKING OF TRAINS DURING TOTAL INTERRUPTION OF COMMUNICATIONS ON SINGLE LINE.**

1. In the event of total interruption of communications occurring between two block stations i.e. when Line Clear cannot be obtained by one of the following means stated in order of preference viz.
 - i. Block instrument, Track circuiting or Axle counters;
 - ii. Telephones attached to the block instruments;
 - iii. Station to station fixed telephones wherever available;
 - iv. Fixed telephone such as railway auto phones & BSNL telephones;
 - v. Control Telephone;
 - vi. VHF sets, under special instructions, but not as the sole means of communication on sections where passenger trains run.

Note: A. The order of preference as mentioned above should not be violated under any circumstances.

B. At the time of obtaining/granting line clear on VHF set the following instructions should be observed: -

- (i) Details of preceding three trains should be taken at the time of obtaining /granting line clear including time of line clear received, private nos. with time of occupying and clearing block section.
- (ii) Line clear should be obtained/given only when voice on VHF sets is very clear VHF sets should not be used for this purpose whenever any induction in noise, disturbance or faint/broken voice is noticed on VHF set.
- (iii) In case of any doubt while obtaining/granting line clear of VHF set, it's use must be stopped forth with. In such situation SM/ASM on duty will be responsible for the safe working of trains as per rules.
- (iv) Line clear for three trains only can be obtained on VHF sets. For further trains line clear should be obtained/given only in presence of Sectional TI/Supervisory SM or neighboring supervisory SM.

The instructions laid down in succeeding paragraphs, shall be followed for working trains between block stations.

Note:- These instructions shall also be followed whenever during total interruption of communications, an accident to a train or track or other obstruction precludes the use of one of the lines on a double line section or whenever total interruption of communications occurs during single line working on a double line section.

2. The Station Master who has a train to dispatch through the affected block section shall open communications by establishing contact with the Station Master of the block station at the other end of the affected block section by sending an engine or self propelled vehicle or any other vehicle, enumerated below, in the order of preference laid down.

- (i) खाली इंजन,
 - (ii) गाड़ी इंजन ड्यूटी पर स्टेशन मास्टर के अनुदेशों पर लोको पायलट द्वारा गाड़ी से अलग कर दिये जाने के बाद
 - (iii) मोटर ट्राली/टावर वैगन जिसके साथ विधिवत कोई गार्ड अथवा ड्यूटी पर स्टेशन मास्टर से भिन्न कोई अन्य स्टेशन मास्टर हो।
 - (iv) ट्राली/साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली जिसके साथ विधिवत कोई गार्ड अथवा ड्यूटी पर स्टेशन मास्टर से भिन्न कोई अन्य स्टेशन मास्टर हो।
 - (v) डीजल कार/रेल मोटरकार/बिजली गाड़ी रोक, यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि सभी यात्री गाड़ी से उतर गये हैं।
3. इससे पहले कि संचार साधन चालू करने के लिए प्रभावित ब्लाक सेक्शन में खाली इंजन/गाड़ी इंजन/मोटर ट्राली/टावर वैगन/ट्राली/साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली/डीजल कार/रेल मोटर कार/बिजली गाड़ी रोक को भेजा जाय। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर इस कार्य को करने के लिए भेजे जाने वाले लोको पायलट/मोटरमैन/गार्ड/स्टेशन मास्टर को इस परिस्थितियों और प्रयोजन के बारे में सूचनार्थ देगा जिसके लिए उसे भेजा जा रहा है। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर स्वयं भी संतुष्टि कर लेगा कि संचार-साधन चालू करने के लिए भेजा जाने वाला लोको पायलट/मोटरमैन/गार्ड/स्टेशन मास्टर इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतया खराब हो जाने के दौरान गाड़ियों के कार्य के नियमों को भली भाँति समझता है। यदि संचार साधन चालू करने के लिए भेजा जाने वाला लोको पायलट/गार्ड/स्टेशन मास्टर इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतया खराब हो जाने के दौरान गाड़ियों के कार्य चालन के नियमों को भलीभाँति समझता है। यदि संचार चालू करने के लिए भेजा जाने वाला लोको पायलट/गार्ड/स्टेशन मास्टर इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतया खराब हो जाने के दौरान गाड़ियों के कार्य चालन के नियमों से परिचित न हो तो ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर ऐसे कर्मचारी को इन नियमों को समझायेगा। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर, इस बात के प्रमाण के तौर पर कि उस कर्मचारी ने, वे परिस्थितियों और प्रयोजन, जिसके लिए उसे भेजा जा रहा है, और इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतया खराब होने के दौरान गाड़ियों के कार्यचालन के नियमों को पूर्ण रूप से समझ लिया है, 'इकहरी लाइन सेक्शन पर सम्पूर्ण संचार साधनों के विफल होने पर संचार खोलने हेतु प्राधिकार' फार्म पर लोको पायलट/मोटर मैन/गार्ड/स्टेशन मास्टर के स्याही से हस्ताक्षर भी ले लेगा।
- 4.1 खाली इंजन/गाड़ी इंजन/मोटर ट्राली/टावर वैगन/ट्राली/साइकिल ट्राली मोपेड ट्राली/डीजल कार/रेल मोटर कार/बिजली गाड़ी के रोक को भेजने से पहले ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर संचार-साधन चालू करने के लिए भेजे जाने वाले लोको पायलट/मोटर मैन/गार्ड/स्टेशन मास्टर को निर्धारित फार्म टी/बी 602 पर इकहरी लाइन सेक्शनों पर सम्पूर्ण संचार साधनों के विफल होने पर संचार खोलने हेतु प्राधिकार सौंपेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा:-
- (i) "लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार"
 - (ii) सतर्कता आदेश, जिसमें वह गति विनिर्दिष्ट की गयी हो जिस पर प्रभावित ब्लाक सेक्शन से इंजन या स्वनोदित वाहन या पैरा 2 में उल्लिखित कोई अन्य वाहन चल सकता है।
 - (iii) अंतिम रोक सिगनल, यदि स्टेशन पर अंतिम रोक सिगनल हो, को "ऑन" स्थिति में पास करने के लिए प्राधिकार।
 - (iv) प्रभावित ब्लाक सेक्शन से दूसरी ओर के ब्लाक सेक्शन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इंकवारी संदेश, जिसमें उसके स्टेशन के लिए भेजे जाने के लिए प्रतीक्षारत गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर के लिए कहाँ जाये।
 - (v) प्रभावित ब्लाक सेक्शन के दूसरी ओर के ब्लाक सेक्शन के स्टेशन मास्टर के नाम एक

-
- (i) Light engine;
 - (ii) Train engine, after it is detached from the train by the Loco Pilot on instructions from the Station Master on duty;
 - (iii) Motor trolley/Tower wagon duly accompanied by a Guard or by Station Master other than the Station Master on duty.
 - (iv) Trolley/Cycle Trolley/Moped trolley duly accompanied by a Guard or by a Station Master other than the Station Master on duty;
 - (v) Diesel Car/Rail Motor Car, EMU Rake after ensuring that all Passengers have detained.
3. Before the light engine/train engine/Motor Trolley/Tower Wagon/Trolley/Cycle trolley /Moped trolley/Diesel Car/Rail motorcar/EMU rake is sent into the affected block section to open communications, the Loco Pilot/ Motorman/ Guard/ Station Master being sent to do so shall be advised by the Station Master on duty of the circumstances in which and the purpose for which he is being sent. The Station Master on duty shall also satisfy himself that the Loco Pilot/ Motorman/ Guard/ Station Master being sent to open communications thoroughly understands the rules of working of trains during total failure of communications on the single line. If the Loco Pilot/ Motorman/ Guard/ Station Master who is being sent to open communications, is not conversant with the Rules for working of trains during total failure of communications on single line, the Station Master on duty shall explain these rules to such staff. The Station Master on duty shall also obtain the signature of the Loco Pilot/ Motorman/ Guard/ Station Master on "Authority for opening communication during total interruption of communication on single line section" in token of such staff having fully understood the circumstances in which and the purpose for which he is being sent and the Rules for Working of Trains during total failure of communications on single line.
- 4.1 Before dispatching the light engine/train engine/Motor trolley/tower wagon/Trolley/ Cycle Trolley/Moped Trolley/Diesel Car/Rail Motor car/EMU rake, the Station Master on duty shall hand over "Authority for opening communication during total interruption of communication on single line section on prescribed form no. T/B602 to the Loco Pilot/Motorman/Guard/ Station Master who is being sent to open communications, which includes: -
- (i) An "Authority to Proceed Without line Clear".
 - (ii) A Caution Order, specifying the speed upto which the engine or self propelled vehicle or other vehicle referred to in para 2 may run through the affected block section.
 - (iii) An Authority on the prescribed form to pass the last Stop signal in the 'on' position in case there is a last Stop signal at the station.
 - (iv) A line Clear Enquiry Message addressed to the Station Master of the block station at the other end of the affected block section asking for Line Clear for the train waiting to be dispatched to his station.
 - (v) A conditional Line Clear Message to the Station Master of the block station at

सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें निम्नलिखित के लिए अनुमति दी गयी हो :-

- (क) खाली इंजन/गाड़ी इंजन, खाली अथवा उसके स्टेशन से भेजे जाने के लिए प्रतीक्षारत गाड़ी के साथ जोड़कर अथवा किसी अन्य इंजन के साथ जुड़कर वापस आने के लिए।
- (ख) टावर वैगन/डीजल कार/रेल मोटर कार/स्वचालित बिजली गाड़ी रैक के वापस आने के लिए, अथवा।
- (ग) मोटर ट्राली/साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली यानी अकेले चलकर या उसके स्टेशन से चलने की प्रतीक्षा में किसी गाड़ी में लदकर वापस आने के लिए।

4.2 प्रभावित ब्लाक सेक्शन से होकर भेजी जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीयर माँगने के लिए लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश और यथा प्रकरण इंजनों अथवा स्वनोदित वाहनों अथवा पैरा 2 में निर्दिष्ट अन्य वाहनों की वापसी यात्रा के लिए 'सशर्त (कन्डीशनल) लाइन क्लीयर संदेश टेलीफोन फार्मों या टी/ई 602 या टी/एफ 602 पर लिखे जायेंगे और संचार साधन चालू करने के लिए जाने वाले लोको पायलट/मोटर मैन/गार्ड/स्टेशन मास्टर के जरिये भेजे जायेंगे तथा इन संदेशों को लाइन क्लीयर पुस्तकों में भी दर्ज किया जायेगा।

(i) लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश निम्न प्रकार से लिखा जायेगा :-

संख्याकी वापसी.....पर क्या लाइन क्लीयर होगा और प्रस्थान के लिए प्रतीक्षा कर रही गाड़ी संख्या.....के लिए लाइन को क्लीयर रखा जायेगा।

इंजन के विवरण, चाहे वह खाली वापस आ रहा हो या किसी गाड़ी के साथ लगा हो अथवा स्वयं चलने वाली या किसी गाड़ी में लगी मोपेड ट्राली या इंजन/टावर वैगन/डीजल कार/रेल मोटर कार/बिजली गाड़ी रैक/मोटर ट्राली अथवा साइकिल ट्राली, जो भी लागू हो, के साथ लगा हो, संदेश तैयार करते समय ठीक-ठीक भरे जायेंगे।

(ii) यथा- प्रकरण इंजन अथवा स्वनोदित वाहन अथवा पैरा 2 में निर्दिष्ट अन्य वाहन की वापसी यात्रा के लिए "सशर्त लाइन क्लीयर संदेश निम्न प्रकार लिखा जायेगा :-

संख्या

आपके स्टेशन पर #.....के पहुंचने पर लाइन क्लीयर रहेगा और.....

..... † के लिए लाइन क्लीयर रखा जायेगा।

प्राइवेट संख्या.....(अकों और शब्दों में, लिखा जाये)।

इंजन/टावर वैगन/डीजल कार/रेल मोटर कार/बिजली गाड़ी रैक/मोटर ट्राली/साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली, जो भी लागू हो के विवरण ठीक-ठीक भरे जायेंगे।

† इंजन के विवरण चाहे वह खाली वापस आ रहा हो या किसी गाड़ी के साथ हो अथवा स्वयं चलने वाली या किसी गाड़ी में लदी मोपेड ट्राली या इंजन/टावर वैगन/डीजल कार/रेल मोटर कार/बिजली गाड़ी रैक/मोटर ट्राली/अथवा ट्राली जो भी लागू हो के साथ लगा हो संदेश तैयार करते समय, ठीक-ठीक भरे जायेंगे।

4.3 संचार साधन चालू करने के लिए जाने वाला लोको पायलट/मोटर मैन/स्टेशन मास्टर "इकहरी लाइन सेक्शन पर सम्पूर्ण संचार साधनों के विफल होने पर संचार खोलने हेतु प्राधिकार" प्राप्त होने पर इस बात के प्रमाण के रूप में कि उसने उसकी विषय-वस्तु को समझ लिया है उसके अभिलेख प्रति पर स्याही से हस्ताक्षर करेगा। यदि लोको पायलट अशिक्षित हो तो ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर द्वारा उसकी विषय-वस्तु सम्बन्धित गार्ड की उपस्थिति में यदि कोई हो उसको समझा दी जायेगी और ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर और सम्बन्धित गार्ड, यदि कोई हो फार्म में इस प्रयोजन के लिए उपबन्धित स्थान पर, इस आशय के प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।

the other end of the affected block section permitting him.

- (a) To return the light engine/train engine, either light or attached to a train waiting to be dispatched from his station, or attached with another engine: or
- (b) To return Tower wagon/Diesel car/Rail motor car/EMU rake running by itself; or
- (c) To return motor trolley/trolley/cycle trolley/moped trolley either running by itself or loaded in a train waiting to be dispatched from his station.

4.2 The Line Clear Enquiry Message asking Line Clear for the trains to be dispatched through the affected block section, and the conditional Line Clear Message for the return journey of the engine or self propelled vehicle or other vehicle referred to in para 2, as the case may be shall be written out on telegraph/form No. T/E 602 or T/F 602 forms for being sent thorough the Loco Pilot/Motorman/Guard/Station Master going to open communications, and these Messages shall also be entered in the line Clear Books.

- (i) The Line Clear Enquiry Message shall be worded as follows: -

Message No. ----- on return of -----
----- will line be clear and kept clear for train No. -----
----- waiting to proceed.

The particulars of the engine either returning light or attached to a train or attached to another engine/tower wagon/diesel car/rail motor car/EMU rake/motor trolley or trolley or cycle trolley or moped trolley running by itself or loaded in a train, as may be applicable, shall be correctly filled in while preparing the Message.

- (ii) The conditional Line Clear Message for return journey of the engine or self-propelled vehicle or other vehicle referred to in para 2, as the case may be shall be worded as follows: -

Message No.----- on arrival of #----- at yours, line will be clear and kept clear for †-----Private No. ----- (To be written both in figures and words)

The particulars of engine/tower wagon/diesel car/rail motor car/EMU rake/motor trolley/trolley/cycle trolley/moped trolley, as may be applicable, shall be correctly filled in:

† The particulars of the engine either returning light or attached to a train or attached to another engine/tower wagon/diesel car/rail motor car/EMU rake/motor trolley or trolley or cycle trolley or moped trolley running by itself or loaded in a train, as may be applicable, shall be correctly filled in while preparing the Message.

4.3 The Loco Pilot/Motorman/Guard/Station Master going to open communications shall, on receipt of Authority for opening communication during total interruption of communication on single line section and sign on its original and carbon copy in token of his having understood its contents. In case the Loco Pilot is illiterate, the contents shall be explained to him by the Station Master on duty, in the presence of the Guard concerned, if any.

- 4.4 यदि कोई खाली अथवा इंजन और ब्रेकवान को अगले ब्लाक स्टेशन के लिए प्रस्थान करने के लिए भेजा जाता है और फिर वह अगले ब्लाक स्टेशन पर पहुंचने के पश्चात आगे अपनी यात्रा जारी रखता है और वह संचार साधन चालू करने के प्रयोजन के लिए न हो तो इंजन अथवा इंजन और ब्रेकवान को उसकी वापसी यात्रा के लिए पैरा 4.1 (iv) और (v) में निर्दिष्ट लाइन क्लीयर इंक्वायरी संदेश और सशर्त लाइन क्लीयर संदेश नहीं दिया जायेगा और निर्धारित फार्म पर उसके लिए कालम में क्रास कर दिया जायेगा। उस इंजन अथवा इंजन तथा ब्रेकवान को पैरा 4.1 (i) और (ii), (iii) में निर्दिष्ट "लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार" सतर्कता आदेश "आन" (संकेत) में अंतिम रोक सिगनल से गुजरने के लिए प्राधिकार केवल जारी किये जायेंगे जबकि आवश्यक हो। यदि उसी दिशा में कोई दूसरा खाली इंजन अथवा दूसरा इंजन और ब्रेकवान भेजना आवश्यक हो तो पहले से उसके भेजे जाने का समयान्तर कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए।
- 4.5 किसी इंजन अथवा स्वनोदित वाहन अथवा अन्य वाहन को "इकहरी लाइन सेक्शन" पर सम्पूर्ण संचार साधनों के विफल होने पर संचार खोलने हेतु प्राधिकार" पर अगले स्टेशन के लिए प्रस्थान न करने की अनुमति देते समय अंतिम रोक सिगनल 'आफ' नहीं किया जायेगा।
5. किसी इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन को 'लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश सहित संचार साधनों को चालू करने के लिए अगले स्टेशन के लिए भेज दिये जाने के पश्चात् तथा इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन को वापसी यात्रा के लिए अगले स्टेशन के लिए' सशर्त (कंडीसनल) लाइन क्लीयर संदेश सहित भेजे जाने के पश्चात् किसी अन्य गाड़ी या इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन को स्टेशन छोड़ने तथा उसी दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि संचार साधन चालू करने के लिए भेजा गया इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन वापस नहीं आ जाता। तथापि इसका आशय किसी ऐसे इंजीनियरिंग कर्मचारी को रोकने से नहीं है जो किसी ऐसे सेक्शन पर, जहाँ ठेला ट्रालियां लाइन क्लीयर पर नहीं चलती है, अपने कार्य के लिए अपनी ठेला ट्राली पर सेक्शन में जा रहा हो।
6. (क) 'इकहरी लाइन सेक्शन पर सम्पूर्ण संचार साधनों के विफल होने पर संचार खोलने हेतु प्राधिकार पर प्रस्थान करने वाला इंजन अथवा स्वनोदित वाहन अथवा अन्य वाहन फ्लैशर लाइट की उपलब्धता पर स्विच आन कर देगा तथा दिन के समय जब स्पष्ट दिखाई देता है, अधिक से अधिक 15 किलोमीटर, प्रति घंटा की गति से और रात के समय जब स्पष्ट दिखाई न देता हो अधिक से अधिक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इंजन सीटी अथवा जहाँ उपलब्ध हो, स्वनोदित वाहन के हार्न का मुक्त रूप से प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेगा। धुंध कोहरे या तूफानी मौसम में अथवा धूल भरी आंधी आदि में जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार का प्रस्थान करने वाला इंजन या स्वनोदित वाहन या अन्य वाहन इंजन सीटी अथवा जहाँ उपलब्ध हो स्वनोदित वाहन के हार्न को बार-बार बजाते हुए पैदल गति से आगे बढ़ेगा। उसके आगे-आगे पर्याप्त दूरी पर दो व्यक्ति पैदल चलेंगे, एक व्यक्ति लाल बत्ती दिखायेगा और दूसरे के पास तत्काल उपयोग के लिए तैयार कुहासा या पटाखा सिगनल होंगे। सामान्यतः इनमें से एक व्यक्ति स्टेशन मास्टर द्वारा अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से उपलब्ध कराया जायेगा और दूसरा व्यक्ति इंजन कर्मीदल में से होगा अथवा वह व्यक्ति होगा जिसकी मोटर ट्राली/ट्राली/साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली का उपयोग किया जा रहा है। एक व्यक्ति द्वारा चालित स्वनोदित वाहन के मामले में ये दोनों व्यक्ति स्टेशन मास्टर द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर उन दोनों को अगले स्टेशन पर भेजे जाने वाले स्वनोदित वाहन के प्रभारी लोको पायलट/मोटर मैन/गार्ड/स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में उनकी ड्यूटी समझायेगा और स्वयं को आश्वस्त लेगा कि वे अपनी ड्यूटी समझ गये हैं।
- (ख) दिन और रात, दोनों समय में किसी सुरंग में प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि लोको पायलट/मोटर मैन/स्टेशन मास्टर/गार्ड ने यह सुनिश्चित न कर लिया हो कि

- 4.4 In case a light engine or an engine and brake van is to be dispatched to proceed to the next block station and then continue its journey onward after arrival at the next block station and is not meant for opening communications the Loco Pilot of engine or the engine and brake van shall be given with the “Authority for opening communication during total interruption of Communication” and items Line Clear enquiry Message and conditional Line Clear Message shall be strict out in form. Such engine or engine and brake van shall be issued only the “Authority to proceed without Line Clear”, the Caution Order, the Authority to pass the last Stop signal in the ‘on’ position, referred to in para 4.1 (i), (ii), (iii) where necessary, should it necessary to dispatch another light engine or another engine and brake van in the same direction, an interval of at least 30 minutes shall be allowed to elapse before it is dispatched.
- 4.5 The last Stop signal shall not be taken ‘off’ while permitting an engine or self propelled vehicle or other vehicle to proceed to the next station on “Authority for opening communication during total interruption of communication on single line section”.
5. After an engine or self propelled vehicle or other vehicle is dispatched to the next station to open communication with Line Clear Enquiry Message and a Conditional Line Clear Message to the next station for the return journey of the engine or self propelled vehicle or other vehicle, no other train or engine or self propelled vehicle or other vehicle shall be allowed to leave the station and proceed in the same direction until the engine or self propelled vehicle or other vehicle sent to open communications returns. This does not however, prevent an engineering official going into the section on his push trolley for his work on a section on which push trollish do not run on Line Clear.
6. (a) The engine or self propelled vehicle or other vehicle proceeding on “Authority for opening communication during total interruption of communication on single line section” shall switch on the Flasher light wherever provided and shall proceed at a speed not exceeding 15 kilometers per hour by day when the view is clear and 10 kilometers per hour during night or when the view is obstructed, making free use of the engine whistle or the horn of the self propelled vehicle where provided. In thick, foggy or tempestuous weather or in dust storm etc. when visibility is impaired the engine or self propelled vehicle or other vehicle proceeding on “Authority to Proceed Without Line Clear” shall proceed at walking pace only making repeated use of the engine whistle or horn of self propelled vehicle, where provided, preceded at an adequate distance by two man on foot, one displaying a red light and the other carrying fog signals ready for immediate use. Normally these men will be provided by the Station Master from his class IV staff and the other from the crew of the engine or the person whose motor trolley/trolley/cycle trolley/moped trolley is being used. In case of single manned self-propelled vehicle, both these men shall be provided by the Station Master. The Station Master on duty shall explain to both of them their duties, in the presence of the Loco Pilot/Motorman/Guard/Station Master incharge of the self-propelled vehicle or other vehicle being sent to the next station and satisfy himself that they understand the same,
- (b) Both by day and night, a tunnel must not be entered until the Loco Pilot/ Motorman/ Station Master/Guard has ascertained that it is clear. Should thereby any doubt on

वह क्लीयर है। यदि इस सम्बन्ध में कोई संदेह हो तो इंजन अथवा अन्य वाहन का मार्ग दर्शन सिगनल और पटाखों से सज्जित किसी रेल कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए। सुरंग में प्रवेश करने से पूर्व प्रमुख बत्तियों, बगल की और पिछली बत्तियाँ तथा अन्य बत्तियाँ (जहाँ उपलब्ध करायी गयी हो) भी जला दी जायेगी।

- (ग) बाह्यतम सम्मुख काँटों से परे लाइन को अवरुद्ध करने कि अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि इंजन/टावर वैगन/डीजल कार/रेल मोटर कार/बिजली गाड़ी रोक/मोटर ट्राली/मोपेड ट्राली वापस न आ जाय।
7. 'इकहरी लाइन सेक्शन पर सम्पूर्ण संचार साधनों के विफल होने पर संचार खोलने हेतु प्राधिकार' पर आगे बढ़ने वाला कोई इंजन/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन यदि दूसरे सिरे से भेजे गये किसी इंजन/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन से सेक्शन के मध्य में मिलता है, तो यथाप्रकरण, लोको पायलट/मोटर मैन/गार्ड/स्टेशन मास्टर उस गाड़ी के महत्व, जिसके लिए वे लाइन क्लीयर प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, निकटतम स्टेशन से दूरी रास्ते में आने वाले ढलानों, कैच साइडिंग की उपस्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए विनिश्चय करेंगे कि दोनों में से कौन से स्टेशन के लिए इंजनों/स्वनोदित वाहनों को जोड़ दिया जायेगा। यदि इंजनों/स्वनोदित वाहनों को जोड़ा न जा सके तो उन्हें अलग-अलग एक निरापद गति से और पर्याप्त दूरी पर चलाया जाना चाहिए। मोटर ट्राली/ठेला ट्राली/साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली के किसी इंजन और ब्रेकवान/डीजल कार/रेल मोटर कार/बिजली गाड़ी रोक से मिलने के मामले में मोटर ट्राली/ठेला ट्राली/साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली को यदि सम्भव हो तो ब्रेकवान/डीजल कार/रेल मोटर कार/बिजली गाड़ी में रोक में लादा जायेगा।
8. वह स्टेशन दिखाई देने पर जिसके स्वयं चलाने वाला अथवा किसी अन्य उसी इकाई के साथ जुड़कर चलने वाला या पृथक रूप से चलने वाला इंजन/स्वनोदित वाहन/आगे बढ़ रहा है, बहरहाल अगला इंजन/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन स्टेशन के प्रथम रोक सिगनल के बाहरी तरफ (अथवा पीछे) रुक जायेगा। आगे चलने वाले इंजन/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन के पीछे चलने वाला इंजन/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन आगे इंजन/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन के पीछे सुरक्षित दूरी पर रुक जायेगा। प्रथम होकर सिगनल के बाहर रुकने की सूचना स्टेशन मास्टर को या तो इंजन सीटी/स्वनोदित वाहन हार्न, यदि उपलब्ध हो का प्रयोग अथवा यदि आवश्यक हो तो किसी व्यक्ति को भेजकर दी जायेगी। वे तब तक स्टेशन में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक कि स्टेशन मास्टर या तो सम्बद्ध सिगनलों को 'आफ' करके अथवा अन्यथा अनुमति न दे दे।
9. इंजन या इंजनों/स्वनोदित वाहन अथवा स्वनोदित वाहनों/अन्य वाहन या वाहनों के स्टेशन में प्रवेश कर लेने पर 'इकहरी सेक्शन पर सम्पूर्ण संचार साधनों के विफल होने पर संचार खोलने हेतु प्राधिकार' लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश और वापसी यात्रा के लिए क्लीयर देने वाला सशर्त लाइन क्लीयर संदेश ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर के सुपुर्द कर दिये जायेंगे जो इन दस्तावेजों को अपनी निरापद अभिरक्षा में रखेगा और अपनी लाइन क्लीयर पुस्तकों में लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश और सशर्त लाइन क्लीयर संदेश भी दर्ज करेगा। वापसी यात्रा के लिए "सशर्त लाइन क्लीयर संदेश" के प्राधिकार पर ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर अप ट्रेन के लिए टी/जी 602 या डाउन ट्रेन के लिए टी/एच 602 निर्धारित फार्म पर एक "सशर्त लाइन क्लीयर टिकट" बनायेगा और लोको पायलट/मोटर मैन/स्टेशन मास्टर को सौंप देगा, जिससे कि वह उस ब्लाक स्टेशन को वापस जा सके जहाँ से वह अपने इंजन या तो खाली या किसी गाड़ी या अन्य इंजन या किसी स्वनोदित वाहन यदि उस दिशा में जाने के लिए कोई प्रतीक्षारत हो, के साथ लगाकर/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन के साथ आया था।
10. इंजन अथवा स्वनोदित वाहन अथवा अन्य वाहन से जो अगले स्टेशन पर पहुंचे बिना उस स्टेशन पर वापस हुए हो, इकहरी लाइन सेक्शन पर सम्पूर्ण संचार साधनों के विफल होने पर संचार खोलने हेतु प्राधिकार इन्क्वायरी संदेश और वापसी यात्रा के लिए सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जहाँ से वे जारी किये गये थे, ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर द्वारा वापस ले लिये जायेंगे और

- this point the engine or other vehicle etc. should be piloted by a railway servant equipped with hand signal and detonators. Before entering the tunnel the head lights, side and tail lights and other lights (where provided) shall also be lit.
- (c) No obstruction of the line beyond the outermost facing points shall be allowed until the return of the engine/tower wagon/diesel car/rail motor car/EMU rake/motor trolley/trolley/cycle trolley/moped trolley.
7. In the event of an engine/self propelled vehicle other vehicle, proceeding on Authority for opening communication during total interruption on single line section "meeting in the mid section, an engine/self propelled vehicle/other vehicle sent from the other end, the Loco Pilots/Motormen/ Guards/Station Masters, as the case may be shall, taking into consideration the importance of the train for which they are proceeding to get Line clear, the distance from the nearest station, gradients to be encountered, the presence of catch sidings etc. decide to which of the two stations, the engines/self propelled vehicles/ vehicles should proceed. Before proceeding, the engines or self propelled vehicles shall, if possible, be coupled up. If the engine/self propelled vehicles cannot be coupled up they should run at a safe speed and adequate distance apart. In the case of motor trolley/push trolley/cycle trolley/moped trolley, meeting an engine and brakevan/diesel car/rail motor car/EMU rake, the motor trolley/push trolley/Cycle trolley/moped trolley shall, if possible be loaded in the brake van/diesel car/rail motor car/EMU rake.
8. On sighting the station to which the engine/self propelled vehicle/other vehicle running by itself or with another similar unit coupled together or separately, to which it is/ they are proceeding, the leading engine/self propelled vehicle/other vehicle shall stop out-side (i.e. in rear of) the first Stop signal of the station. the engine or self propelled vehicle or other vehicle following the leading engine/self propelled vehicle/other vehicle shall stop at a safe distance behind the leading engine/self propelled vehicle/other vehicle. The Station Master shall be advised of the stoppage outside the first Stop signal either by using the engine whistle/horn of the self propelled vehicle, if provided, or by sending a man if necessary. They shall not enter the station till permitted by the Station Master to do so either by taking 'of' the relevant signals or otherwise.
9. When the engine or engines/self-propelled vehicle or self-propelled vehicles/other vehicle or vehicles have been admitted into the station the "Authority for opening of communication during total interruption of communication on single line section" with the line Clear Enquiry Message and the Conditional Line Clear Message giving the Line Clear for the return journey shall be delivered to the Station Master on duty, who shall keep this document in his safe custody and also post the Line Clear enquiry Message and the conditional Line Clear Message in his Line Clear Books. On the authority of the Conditional Line clear Message for the return journey, the Station Master on duty shall make out a Conditional Line Clear Ticket on prescribed form T/G602 in case of Up train or T/H 602 in case of Down train and hand it over to the Loco Pilot/Motorman/Guard/Station Master to return to the block station from where he came with his engine (either light or attached to a train or another engine or a self propelled vehicle if one is waiting to proceed in that direction) self propelled vehicle/ other vehicle.
10. In case of the engine or self-propelled vehicle or other vehicle returning on the station from which he was send without reaching the next station, the "Authority for opening communication during total interruption of communication on single line section" shall all be taken back by the Station Master on duty of the station from which this was

रद्द कर दिये जायेंगे। मूल प्रविष्टियाँ। भी रद्द कर दी जायेंगी।

11. इंजन को या तो खाली अथवा किसी गाड़ी/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन के साथ जोड़कर, वापसी यात्रा पर भेजने से पहले ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर लोको पायलट/मोटर मैन/स्टेशन मास्टर को दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर देते हुए लाइन क्लीयर इक्वायरी संदेश के लिए सशर्त लाइन क्लीयर उत्तर संदेश निर्धारित फार्म टी/एफ 602 पर सौप देगा इससे उसे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को उसके यहाँ इंजन के या तो खाली अथवा किसी गाड़ी/स्वनादित वाहन/अन्य वाहन के साथ जुड़कर, पूरी तरह पहुँच आने पर वहाँ प्रतीक्षा कर रही गाड़ी को प्रस्थान कराने का प्राधिकार प्राप्त हो जाता है।

12. निर्धारित फार्म टी/एफ 602 पर सशर्त लाइन क्लीयर उत्तर संदेश निम्नलिखित प्रकार से लिखा जायेगा:-

स्टेशन.....स्टेशन

दिनांक

संख्या

समय.....घं०.....मि०.

द्वारा स्टेशन मास्टर..... सेवा में स्टेशन मास्टर.....

आपका संदेश संख्या.....इंजन गाड़ी/बिना गाड़ी के साथ, स्वनोदित वाहन, या यान सं०आपके यहाँ पहुँच पर मैंने यहाँ निम्नलिखित गाड़ियों के लिए लाइन साफ रखी जायेगी:-

गाड़ी संख्याप्राइवेट नम्बर (अंकों में)(शब्दों में)

गाड़ी संख्याप्राइवेट नम्बर (अंकों में)(शब्दों में)

गाड़ी संख्याप्राइवेट नम्बर (अंकों में)(शब्दों में)

गाड़ी संख्याप्राइवेट नम्बर (अंकों में)(शब्दों में)

स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर

स्टेशन स्टैम्प

* इंजन के विवरण चाहे वह खाली वापस आ रहा हो या किसी गाड़ी के साथ लगा हो अथवा स्वयं चलने वाली या किसी गाड़ी में लदी मोपेड ट्राली या इंजन/टावर वैगन/डीजल कार/रेल मोटरकार/बिजली गाड़ी रेक/मोटर ट्राली अथवा ट्राली अथवा साइकिल ट्राली जो भी लागू हो के साथ लगा हो संदेश तैयार करते समय ठीक-ठीक भरें जायेंगे।

13. वापसी यात्रा पर इंजन या तो खाली अथवा किसी गाड़ी/डीजल कार/रेल मोटर कार/बिजली गाड़ी रेक/मोटर ट्राली/ठेला ट्राली/मोपेड ट्राली से लदी गाड़ी के साथ लगाकर (जुड़कर) कार्य चालन समय सारणी की गति सीमा तथा अन्य संबद्ध नियमों का पालन करते हुए निर्धारित गति पर चल सकता है। मोटर ट्राली/ठेला ट्राली/साइकिल ट्राली/मोपेड ट्राली स्वयं वापस आते समय, लाइन क्लीयर पर उनके चलने का अधिशासित करने वाले नियमों का पालन करते हुए, अपनी सामान्य गति पर चल सकती है।

14. स्टेशन पर पहुँचने पर इंजन, चाहे खाली (अकेला) हो या किसी गाड़ी/स्वनोदित वाहन/अन्य वाहन के साथ लगा हो पुनः स्टेशन के प्रथम रोक सिगनल के बाहर (अर्थात् पीछे) रुकेगा और उसके पश्चात् स्टेशन मास्टर के अनुसार चलेगा जो उसे, संबद्ध सिगनलों को 'आफ' करके अथवा अन्यथा प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा।

15. स्टेशन पर पहुँचने पर 'सशर्त लाइन क्लीयर उत्तर संदेश स्टेशन मास्टर को सौप दिया जायेगा जो उसे लाइन क्लीयर संदेश पुस्तक में दर्ज करेगा और उसके प्राधिकार पर प्रतिक्षारत गाड़ी के लिए अप ट्रेन की दशा में टी/जी 602 तथा डाउन ट्रेन की दशा में टी/एच 602 फार्म एर एक सशर्त लाइन क्लीयर टिकट जारी करेगा।

issued and cancelled. The original entries shall also be cancelled.

11. The Station Master on duty before dispatching the engine either light or attached to a train/self propelled vehicle/other vehicle, on the return journey shall hand over to the Loco Pilot/Motorman/Guard/Station Master, Conditional Line Clear Reply Message on prescribed form T/F 602 for the Line Clear Enquiry Message, giving line Clear for the train waiting at the other station, thereby authorizing the Station Master at that station to start the train waiting there on complete arrival of the engine, either light or attached to a train/self propelled vehicle/other vehicle at his end.
12. The Conditional Line Clear Reply Message on form T/F 602 shall be worded as follows: -

Station Date.....
 Message No. Time hrs mts
 Your Message no----- On arrival of *Engine with/without/self propelled vehicle/other vehicle no.----- at your Line will be clear and kept clear for following trains-----
 (i) Train No. ----- Private No. (In words) ----- (In figure) -----
 (ii) Train No. ----- Private No. (In words) ----- (In figure) -----
 (iii) Train No. ----- Private No. (In words) ----- (In figure) -----
 (iv) Train No. ----- Private No. (In words) ----- (In figure) -----

Signature of Station Master

Station Stamp

* The particulars of the engine either returning light or attached to a train or attached to another engine/tower wagon/diesel car/rail motor car/EMU rake/motor trolley or trolley/Cycle trolley or moped trolley running by itself or loaded in a train, as may be applicable, shall be correctly filled in while preparing the message.

13. On the return journey, the engine either light or attached to a train/Diesel Car/Rail Motor Car/EMU rake/Train loaded with Motor trolley/Push trolley/Cycle trolley/Moped trolley/may run at booked speed observing speed limits in the Working Time Table and other relevant rules. The Motor trolley/Push trolley/Cycle trolley/Moped trolley returning by itself may run at their normal speed observing the rules governing their running on Line Clear.
14. On reaching the station the engine either light or attached to a Train/Self-propelled vehicle other vehicle shall again stop outside (i.e. in rear of) the first Stop signal of the station and thereafter be guided by the instructions from the Station Master, who may arrange to receive it by taking off the relevant signals or otherwise.
15. On arrival at the station the Conditional Line Clear reply message shall be handed over to the Station Master who shall record it in the Line Clear Message Book and on its authority issue on prescribed form T/G 602 in case of Up train or T/H 602 in case of Down train a Conditional Line Clear Ticket for the waiting train.

16. यदि दोनों दिशाओं में यातायात की मात्रा समान हो तो प्रत्येक आगामी गाड़ी के लिए इन्क्वायरी और सशर्त लाइन क्लीयर संदेश पूर्वगामी गाड़ी के गार्ड के माध्यम से भेजा जाय। इक्वायरी संदेश फार्म टी/ई0 602 तथा सशर्त लाइन क्लीयर संदेश फार्म टी/एफ 602 पर बनाये जायेंगे।
17. सभी गाड़ियों इंजनों ट्रालियों आदि के जिन्हें उपर्युक्त नियमों के अधीन पास किया जाता है पहुँचने और छूटने का समय सावधानीपूर्वक लाइन क्लीयर इक्वायरी और उत्तर पुस्तकों में दर्ज किया जाना चाहिए तथा साथ ही "लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार के प्रतिर्पण पर और "गाड़ी रजिस्टर पुस्तकों में दर्ज किया जाना चाहिए।
18. यदि अवरूद्ध सेक्शन के एक सिरे (छोर) के स्टेशन मास्टर को एक ही दिशा में विपरीत दिशा से सामान्यतः प्रत्याशित अन्य गाड़ी से पूर्व एक से अधिक गाड़ियाँ भेजनी हो तो ऐसे मामलों में वह सर्वप्रथम उपलब्ध किसी गाड़ी के इंजन को न केवल उस गाड़ी के लिए वरन् अनुगामी गाड़ियों के लिए भी जो उसके स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रही हों या प्रत्याशित हो, "लाइन क्लीयर प्राप्त करने के लिए भेजेगा"। लाइन क्लीयर इन्क्वयरी संदेश में उल्लेख किया जायेगा कि ये अनुवर्ती गाड़ियाँ प्रथम गाड़ी के पश्चात् 30 मिनट के अन्तराल पर भेजी जायेंगी। अपेक्षित गाड़ियों के लिए लाइन क्लीयर लेकर लोको पायलट के उस स्टेशन पर जहाँ उसने गाड़ी को छोड़ा था पहुँचने के पश्चात् स्टेशन मास्टर गाड़ियों के लिए लाइन प्राधिकार पर प्रथम गाड़ी को भेजेगा। और उस लाइन क्लीयर पर यह पृष्ठांकित भी करेगा कि एक गाड़ी विशेष (उसकी संख्या और पूर्ण विवरण देते हुए) एक विनिर्दिष्ट समायान्तराल पर इसके पीछे आयेगी। स्टेशन मास्टर यही सूचना लिखित रूप में गार्ड को भी देगा। दूसरी तथा अनुवर्ती अनुगामी गाड़ियों के लोको पायलटों को एक सतर्कता आदेश दिया जायेगा। जिसमें यह प्रतिबन्ध होगा कि सीधी लाइन पर जब सामने का दृश्य साफ हो तो गति 25 किलोमीटर प्रति घण्टे हो और लाइन के किसी ऐसे भाग के समीप पहुँचते हुए या उससे गुजरते हुए, जहाँ सामने का दृश्य मोड़ अवरोध वर्षा कुहासा या किसी अन्य कारण से स्पष्ट न हो गति 10 किलोमीटर प्रति घण्टा से अधिक नहीं होगी।
दूसरी अथवा अनुवर्ती गाड़ियों को भेजते समय अंतिम पूर्वगामी गाड़ी के विवरण उसके छूटने के समय सहित तथा साथ ही अनुगामी गाड़ी के विवरण भी लाइन क्लीयर पर पृष्ठांकित किये जायेंगे। इन श्रृंखलाओं की अंतिम गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर पर पूर्वगामी गाड़ी के विवरण और उसके छूटने का समय पृष्ठांकित किये जाने चाहिए।
19. जब किसी गाड़ी को ब्लाक सेक्शन में रोका जाता है तो गार्ड पुरन्त पीछे की ओर हैंड डैज र सिगनल दिखायेगा और जाँच करेगा कि पिछला बोर्ड या पिछली बत्ती ठीक प्रकार लगाई गयी है। यदि गाड़ी का रूकाव दुर्घटना खराबी अवरोध या अन्य असामान्य कारण से हो और गाड़ी आगे न बढ़ सकती हो तो लोको पायलट गार्ड को इस तथ्य से अवगत कराने के लिए निर्धारित कूट में सीटी बजायेगा जिस पर गार्ड, आमान का ध्यान किये बिना, रास्ते में गाड़ी से 250 मीटर की दूरी पर एक पटाखा रखकर और गाड़ी से 500 मीटर की दूरी पर 2 पटाखे 10 मीटर के फासले पर रखकर गाड़ी की रक्षा करेगा। जब किसी गाड़ी को सिगनलों से बाहर रोका जाता है और यदि रूकाई के समय में वृद्धि हो रही हो अथवा 10 मिनट से अधिक होने की सम्भावना हो तो तदनुसार ही इसकी भी रक्षा की जायेगी। गार्ड की अनुपस्थिति में गाड़ी की रक्षा की जिम्मेदारी लोको पायलट की होगी।
20. जब गाड़ियाँ एक दूसरों के आगे पीछे चल रही हों तो किसी भी गाड़ी को पीछे की ओर नहीं चलाया जायेगा। आपवादिक परिस्थितियों में जब किसी गाड़ी को पीछे की ओर चलाना अपरिहार्य हो जाये तो 250 मीटर की दूरी पर एक पटाखा रखकर और उस स्थान से जहाँ तक गाड़ी को बैक किया जाना है, 500 मीटर पर 10 मीटर की दूरी पर दो पटाखे रखकर गाड़ी की रक्षा करने के पश्चात् ही गाड़ी को पीछे की ओर चलाया जायेगा।

16. If there be an even flow of trains in both directions, Enquiry and Conditional Line Clear Message for each succeeding train may be sent through the Guard of the preceding train. The Line Clear Inquiry message asking Line Clear for dispatch of trains during total failure of communication on single line section shall be provided on prescribed form T/E 602. The conditional Line Clear message shall be prepared on prescribed form T/F 602.
17. The arrival and departure time of all trains, engines, trollich etc. which are passed under the above rules must be carefully recorded in the Line Clear Enquiry and Reply Books and also in the counterfoil of the "Authority to Proceed Without Line Clear" and in the Train Register Books.
18. If the Station Master at one end of the interrupted section has more than one train to dispatch in the same direction before another train is normally expected from the opposite direction he shall, in such cases, send the first available engine of a train to obtain "Line Clear" not only for that train but also for the following trains which may be waiting or expected at his station. in the Line Clear Enquiry Message it shall be stated that these latter trains will be dispatched after the first train at intervals of 30 minutes. After the Loco Pilot returns with the Line Clear for the required number of trains to the station at which he had left the train, the Station Master shall dispatch the first train on the authority of the line clear for the trains and shall also endorse on that line clear that a particular train (giving its number and description in full) shall follow at a specified interval. The Station Master shall give similar information to the Guard also in writing. The Loco Pilots of the second and subsequent following trains shall be given a caution order restricting the speed to 25 kilometers per hour over the straight when the view ahead is clear and to 10 kilometers per hour when approaching or passing any portion of the line where the view ahead is not clear due to curve, obstruction, rain, fog or any other cause.
When dispatching a second and subsequent trains, the particulars of the last preceding train alongwith its time of departure will be endorsed on the line clear as also the particulars of the train which would follow. The line clear for the last train of the series should be endorsed with the particulars of the preceding train together with its time of departure.
While adopting this procedure, the Guard and the Loco Pilot should be instructed to keep a sharp look out and be prepared to stop short of any obstructions.
19. When a train is stopped in the block section the Guard shall immediately exhibit a hand danger signal towards the rear and check up that the tail board or the tail light is correctly exhibited. If the stoppage is on account of accident failure, obstructions or other exceptional cause and the train cannot proceed the Loco Pilot shall sound the prescribed code of whistle to apprise the Guard of the fact, whereupon the Guard shall protect the train by placing one detonator at 250 meters from the train on the way out and 2 detonators, 10 meters apart, at 500 meters from the train, irrespective of the gauge. When a train is detained outside signals and if the detention exceeds or is likely to exceed 10 minutes it shall also be protected accordingly. In the absence of the Guard the duty of protecting the train shall devolve on the Loco Pilot.
20. When trains follow one another no train shall be backed. In exceptional circumstances when it may be unavoidable to back a train, the train shall be backed only after providing protection by placing one detonator at 250 meters and 2 detonator, 10 meters apart, at 500 meters from the point upto which the train is to be backed.

21. इस पद्धति पर गाड़ियाँ तब तक चलती रहेगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम 1 में निर्दिष्ट संचार साधनों में से कोई साधन पुनः चालू नहीं कर दिया जाता।
22. जैसे ही संचार साधनों में से कोई एक पुनः चालू हो जाता है वैसे ही स्टेशन मास्टर द्वारा सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को निर्धारित फार्म सं0टी/आई 602 पर निम्नलिखित रूप में एक संदेश भेजना चाहिए:-
-स्टेशन मास्टर सेस्टेशन मास्टर को
दिनांक को..... समय..... संदेश सं0.....
गाड़ी (संख्या और विवरण) बजे पूरी पहुँच गयी। आपके स्टेशन के लिए अंतिम गाड़ी (संख्या और विवरण) बजे भेजी गयी। गाड़ियों के सशर्त लाइन क्लीयर कार्य चालन रद्द कर दें।
प्रवेश की अनुमति.....के द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए। पावती दें।
प्राइवेट संख्या (अंको में).....(शब्दों में)

स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर

स्टेशन स्टैम्प

उपर्युक्त संदेश प्राप्त होने पर खण्ड के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को निम्नलिखित फार्म में पावती देनी चाहिए :

.....स्टेशन मास्टर सेस्टेशन मास्टर को
दिनांक सं0..... समय.....
संदेश सं0आपका संदेश सं0.....। मैं समझता हूँ कि गाड़ी (संख्या और विवरण).....जो मेरे स्टेशन से छूटने वाली अंतिम गाड़ी थी, आपके स्टेशन पर पूरी पहुँच गयी है। गाड़ी संख्या.....जो आपके स्टेशन से चली थी, मेरे स्टेशन पर..... बजे पूरी पहुँच गयी है/नहीं पहुँची है। गाड़ियों का सशर्त लाइन क्लीयर कार्यचालन गाड़ी सं0.....के पूरी पहुँच जाने के उपरान्त रद्द किया जा रहा है/कर दिया जायेगा। अगली गाड़ी के लिए प्रवेश अनुमतिके माध्यम से प्राप्त की जायेगी।
प्राइवेट सं0.....(शब्दों में).....अंकों में

स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर

स्टेशन स्टैम्प

23. प्रवेश अनुमति पुनः चालू किये गये संचार साधनों के द्वारा नहीं प्राप्त की जायेगी अथवा नहीं दी जायेगी, जब तक कि दोनों स्टेशन मास्टर आश्वस्त न हो जायें कि उनके स्टेशन से भेजी गयी। सभी गाड़ियाँ और इंजन आदि दूसरे स्टेशन पर पूरे पहुँच गये हैं। चाहे "इकहरी लाइन सेक्शन पर सम्पूर्ण संचार साधनों के विफल होने पर संचार खोलने हेतु प्राधिकार" के अधीन इंजन/स्वनोदित वाहन/नियम 2 में निर्दिष्ट किसी अन्य वाहन के छूटने के बाद संचार साधन पुनः चालू कर दिये जायें तो भी सामान्य कार्यचालन तब तक चालू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि खाली इंजन/स्वनोदित वाहन/कोई अन्य वाहन अगले स्टेशन पर नहीं पहुँच जाता और दोनों स्टेशन मास्टर प्राइवेट नम्बरों के आदान प्रदान के द्वारा आश्वस्त नहीं हो जाते कि कोई खाली इंजन/स्वनोदित वाहन/कोई अन्य वाहन खण्ड पर नहीं है। तत्पश्चात् इसके सम्बन्ध में एक सूचना, नियंत्रित सेक्शनों पर सेक्शन नियंत्रक को भी दी जायेगी, यदि सेक्शन नियंत्रक के साथ भी संचार पुनः चालू हो गया हो तो, और सामान्य कार्यचालन आरम्भ कर दिया जायेगा। तथापि यदि सेक्शन नियंत्रक के साथ संचार पुनः चालू न हुए हों और दो स्टेशनों के बीच संचार पुनः चालू न हुआ हो तो सेक्शन नियंत्रक को तुरन्त उसके साथ संचार पुनः चालू होने पर, स्थिति की सूचना दी जायेगी।

21. Train must continue to work on this system until anyone of the means of communications, mentioned in rule 1 is restored by the competent authority.

22. As soon as any one of the means of communications has been restored, the Station Master must send a message on prescribed form T/I 602 to the Station Master at the other end of the section on the following form: -

From Station Master ----- To Station Master -----
 Date ----- Time ----- Hrs----- Mts.
 Message No. ----- Train (number and description) ----- arrived
 Complete at -----hrs----- mts. Last train (number and description dispatched to your station at ----- hrs ----- mts. Cancel the conditional Line Clear working of trains. Line Clear must be obtained by means of -----.
 Acknowledge.
 Private No. ----- (in words) ----- (in figure)

Signature of Station Master

Station Stamp

On receipt of the above message, the Station Master at the other end of the section must acknowledge in the following form: -

From Station Master ----- To Station Master -----
 Date ----- Time ----- Hrs----- Mts.
 Message No. ----- Your Message No. ----- Understand that Train (No. and description) ----- which was the last train to leave my station has arrived complete at your station. Train No.----- which left your station has arrived complete at my station at ----- hrs ----- mts./not arrived. Conditional Line Clear working of trains is being will be cancelled by means of -----
 ----- Private No. ----- (in word) ----- (in figure)
 Private No. ----- (in words) ----- (in figure)

Signature of Station Master

Station Stamp

23. Line clear shall not be obtained or given by means of communication restored, until both the Station Masters are satisfied that all trains and engines etc dispatched from their stations have arrived complete at the other station. Even if the communication is restored immediately after the departure of the light engine/self propelled vehicle/any other vehicle referred to in rule 2, sent under "Authority for opening communication during total interruption of communication on single line section", normal working should not be resumed until the Light engine/self propelled vehicle/any other vehicle reaches the next station and both the Station Masters are satisfied under exchange of Private numbers that no light engine/self propelled vehicle/any other vehicle is on the section. Thereafter an intimation about this shall be given to Section Controller also, on controlled sections, if communication with Section Controller has also got restored, and normal working resumed if, however, communication with Section Controller has not got restored along with communication between two stations, the Section Controller shall be advised of the position immediately on restoration of communication with him.

24. ऐसे खण्ड पर जहाँ संचार साधनों में पूर्ण अवरोध पैदा हो जाता है, सेक्शन के यातायात निरीक्षक को स्टेशन के गाड़ी गुजारने वाले रिकार्डों (ट्रेन पासिंग रिकार्ड) की छानबीन अवश्य करनी चाहिए और संचार के पुनः चालू हो जाने के सात दिन के भीतर मण्डल रेल प्रबन्धक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिए।

भाग—III

दोहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतया अवरूद्ध हो जाने के दौरान इकहरी लाइन प्रणाली से कार्य करना।

परिशिष्ट "ख" में निर्धारित नियमों, अर्थात् इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतया बाधित होने के दौरान गाड़ियों के कार्यचालन के नियम और विनियम, के अतिरिक्त निम्नलिखित नियमों का कर्मचारियों द्वारा अवश्य अनुपालन किया जाना चाहिए।

1. जब कभी किसी गाड़ी या रेल पथ के दुर्घटनाग्रस्त होने या किसी अन्य बाधा के कारण संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने के दौरान दोहरी लाइन सेक्शन की किसी एक लाइन का उपयोग न हो सके तो इकहरी लाइन प्रणाली केवल तभी चालू की जायेगी, जबकि इंजीनियरी विभाग के किसी उत्तरदायी अधिकारी, जिसका पद निरीक्षक के पद से कम का न हो, यह प्रमाणित कर दिया हो कि दूसरी लाइन, जिस पर इकहरी लाइन प्रणाली चालू की जाती है खाली है और गाड़ियों के आवागमन के लिए सुरक्षित है। वह इंजीनियरिंग विभाग का कर्मचारी यह प्रमाण-पत्र केवल प्रभावित सेक्शन के उस छोर के स्टेशन के स्टेशन मास्टर को देगा जिसके लिए अबाधित लाइन गाड़ियाँ भेजने के लिए उपर्युक्त लाइन होगी। इस प्रमाण – पत्र के प्राप्त होने पर संचार साधन चालू करने के लिए स्टेशन मास्टर परिशिष्ट "ख" में निर्धारित नियमों का पालन करेगा।
2. गाड़ियों, जिसमें खाली इंजन भी शामिल है, के लोको पायलटों को एक सतर्कता आदेश दिया जायेगा जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा:—
 - (क) किस लाइन पर गाड़ी चलाई जानी है,
 - (ख) जहाँ रूकावट है उसकी किलोमीटर दूरी,
 - (ग) कोई गति प्रतिबन्ध जो रेल पथ और निर्माण कार्य कर्मचारियों द्वारा लगाये गये हों।
 - (घ) सम्बन्धित लाइन पर ट्रेप कांटों में कील लगा देने तथा उन्हें क्लैम्प कर देने का आश्वासन।
3. जब अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन प्रणाली चालू हो तब सम्मुख दिशा में पड़ने वाले सभी क्रॉस ओवर कांटे जिन पर गाड़ी गुजरेगी क्लैम्प किये जायेंगे तथा उन पर ताला लगाया जायेगा।
4. जब गाड़ी सही लाइन पर चल रही हो तो:—
 - (क) प्रभावित सेक्शन के पिछले स्टेशन का अंतिम रोक (स्टाप) सिगनल, स्टेशन मास्टर द्वारा जारी किये गये निर्धारित फार्म में लिखित प्राधिकार पर, 'आन' स्थिति में पास किये जा सकते हैं।
 - (ख) प्रभावित सेक्शन के आगे के स्टेशन के प्रवेश रोक सिगनल 'आफ' किये जा सकते हैं।
5. यदि गाड़ी गलत लाइन पर चल रही हो तो:—
 - (क) गाड़ी को सभी सम्मुख कांटों के ठीक प्रकार से सेट कर दिये जाने और ताला लगा दिये जाने तथा उस लाइन पर जिस पर से गाड़ी गुजरेगी, अनुमुख कांटों के ठीक प्रकार से सेट कर दिये जाने के पश्चात् स्टेशन मास्टर द्वारा जारी किये गये लिखित प्राधिकार पर स्टेशन से बाहर ले जाया जायेगा।

24. On the section where total interruption of communications occurs the Traffic inspector of the section, must scrutinize the train passing records of the station and submit his report to the Divisional Railway Manager within seven days of the resumption of communication.

PART-III

SINGLE LINE WORKING ON DOUBLE LINE DURING TOTAL INTERRUPTION OF COMMUNICATIONS

The following rules must, in addition to the rules prescribed in Appendix 'B' viz. rules and regulations for working of trains during total interruption of communications on single line, be observed by the staff.

1. Whenever an accident to a train or track or other obstruction, precludes the use of one line on a double line section during total interruption of communications, single line working shall be introduced only after a responsible official of the engineering department, not less than an Inspector in rank, has certified that the other line on which single line working is to be introduced is free and safe for passage of trains. Such an engineering official shall give the certificate only to the Station Master of the station at that end of the affected section for which the unobstructed line shall be the right line for dispatching trains. On receipt of this certificate, the Station Master will follow the rules prescribed in Appendix 'B' for opening of communication.
2. Loco Pilots of trains, including light engines, shall be given a caution order on which, shall be stated clearly: -
 - (a) The line on which the train is to run;
 - (b) Kilometrage where the obstruction exists;
 - (c) Any restriction of speed which may be imposed by Way & Works staff,
 - (d) An assurance to the effect that any trap points on the line in question have been spiked and clamped.
3. All the cross-over points in the facing direction over which the train shall proceed, while temporary single line working is in force, shall be clamped and pad blocked.
4. In the case of a train proceeding on the right line: -
 - (a) The last Stop signal of the Station in rear of the affected section may be passed in the 'on' position on a written authority issued by the Station Master in the prescribed form. In case the last Stop signal is the Starter, in addition to written authority, a hand signal shall also be shown at the foot of this signal.
 - (b) The approach Stop signals if any, of the station in advance of the affected section, may be taken off;
5. In the case of a train proceeding on the wrong line: -
 - (a) The train shall be piloted out of the station on a written authority issued by the Station Master after all the facing points have been correctly set and locked and trailing points correctly set over which the train will pass.

- (ख) अगले स्टेशन पर पहुंचने पर, लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन से सम्बन्धित प्रथम रोक सिगनल के सामने अथवा गलत (जिस पर उसकी गाड़ी चल रही हो) से सम्बन्धित अंतिम रोक सिगनल पर जो भी उसके सामने पहले गये, रोक देगा।
- (ग) आगे के स्टेशन का स्टेशन मास्टर सिगनल (जो भी सबसे पहले पड़े) के नीचे एक वर्दीधारी रेल सेवक को नियुक्त करेगा जो खतरे के हैंड सिगनल से गाड़ी को रोकेगा और उसके पश्चात् स्टेशन मास्टर द्वारा जारी किये गये एक लिखित प्राधिकार पर उसे स्टेशन के अन्दर ले जायेगा।
6. 'लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार के अधीन भेजे गये प्रथम इंजन या स्वनोदित वाहन पर अन्य वाहन के प्रभारी व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि मार्ग के सभी गेटमैनों को अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन प्रणाली के चालू होने तथा जिस लाइन पर गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है, उसके बारे में अवगत कराये।
- यदि आवश्यक हो तो यह सूचना बाद वाली गाड़ी के लोको पायलट द्वारा भी भेजी जा सकती है।
7. सामान्य कार्य चालन का पुनरारम्भ :
- (क) यदि इकहरी लाइन प्रणाली चालू हो जाने के पश्चात् दोनों प्रभावित स्टेशनों के बीच संचार साधन पुनः स्थापित हो जाये तो गाड़ियाँ तब तक विशेष अनुदेशों के अनुसार चलती रहेंगी जब तक कि उस कार्य-प्रणाली को रद्द कर देने के लिए इसमें दिये गये नियमों के अनुसार कार्रवाई न की जाय। तत्पश्चात् गाड़ियाँ दोहरी लाइन पर अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन प्रणाली को चालू करने के लिए दिये गये आदेशों के अनुसार चलाई जायेंगी।
- (ख) किन्तु यदि संचार साधनों के पुनः स्थापित होने से पहले, यातायात के लिए दूसरी लाइन खाली हो जाये तो गाड़ियाँ दोहरी लाइन सेक्शन पर संचार साधनों के पूर्ण बाधित होने के दौरान गाड़ियों के चलाने के अनुदेशों के अनुसार चलायी जायेंगी।

भाग-IV

दोहरी लाइन सेक्शन पर एक लाइन अवरुद्ध हो जाने पर इकहरी लाइन कार्यचालन के नियम और विनियम

- जब कभी किसी गाड़ी या रेल पथ के दुर्घटनाग्रस्त होने या किसी दूसरी रुकावट के कारण दोहरी लाइन के किसी एक लाइन का उपयोग नहीं हो पाता है तो यातायात का परिवहन अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन पर निम्नलिखित प्रणालियों में से किसी एक के अनुसार किया जा सकता है:-
 - विद्युत संचार यंत्रों द्वारा 'आगमन अनुमति' प्राप्त करके।
 - यदि प्रभावित लाइन के अधिक समय तक अनुपयोगी रहने की सम्भावना हो तो इकहरी लाइन ब्लाक इन्स्ट्रूमेंट और ब्लाक सेक्शन को गलत दिशा में सीमांकित करते हुए ब्लाक सेक्शन लिमिट बोर्डों की व्यवस्था द्वारा।
- जब दोहरी लाइन पर, अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन पर प्रणाली विद्युत संचार यंत्रों द्वारा चालू करना वांछित हो तो प्रभावित सेक्शन के एक ओर के स्टेशन मास्टर को, यह लिखित विश्वसनीय सूचना मिलने पर कि एक लाइन साफ है, सेक्शन कंट्रोलर और उस सेक्शन के दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर से परामर्श करने के बाद उस लाइन पर अस्थायी इकहरी लाइन प्रणाली का चालू करने का उपाय करना चाहिए।

- (b) On reaching the next station, the Loco Pilot shall bring his train to a stop opposite the first Stop signal pertaining to the right line or at the last Stop signal pertaining to the wrong line (on which his train is running), whichever he comes, across first.
- (c) The Station Master of the station in advance shall depute a railway servant in uniform at the foot of the signal (whichever the train would encounter first) who shall stop the train on hand danger signal and thereafter pilot into the station on a written authority issued by the Station Master.
6. It will be the responsibility of the person in charge of the first engine or self propelled Vehicle or other vehicle, sent under "Authority to Proceed Without line Clear" to inform all the gate-men and gang-men enroute about the introduction of temporary single line working as also the line on which it is proposed to run the train.
- This information shall be conveyed through the Loco Pilot of a subsequent train also, if necessary.
7. Resumption of normal working: -
- (a) If after the introduction of single line working, communications are restored between the two affected stations, the trains will continue to run under special rules until action is taken in accordance with the instructions contained in these rules for the cancellation of the procedure. Thereafter, trains will be run in accordance with instructions for the movement of traffic during temporary introduction of single line working on double line.
- (b) If, however, before communications are restored, the other line is released for the passage of traffic, trains shall be worked, in accordance with the instructions of running of trains on double line section during total interruption of communications.

PART-IV

RULES AND REGULATIONS FOR SINGLE LINE WORKING ON A DOUBLE LINE SECTION WHEN ONE LINE IS OBSTRUCTED

1. Whenever an accident to a train or track or other obstruction precludes the use of one of the lines on a double line section, the traffic may temporarily be worked over single line under one of the following system: -
- (a) By obtaining Line clear on electric speaking instruments,
- (b) By the installation of signal line Block instruments and Shunting Limit Boards demarcating the block section in the wrong direction, if the affected line is likely to remain out of use for a substantial period.
2. When it is desired to introduce temporary single line working on double line, on electric speaking instruments, the Station Master at one end of the affected section shall, on receipt of reliable information in writing that one line is clear, take steps to introduce temporary single line working on that line in consultation with the Section Controller and the Station Master of the station at the other end of the section.

3. जिस लाइन पर अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन प्रणाली चालू करनी हो उसके उल्लंघित या क्षतिग्रस्त होने की आशंका हो तो अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन प्रणाली तब तक नहीं चालू करनी चाहिए जब तक कि इंजीरियरिंग विभाग का कम से कम निरीक्षक के पद को कोई जिम्मेदार कर्मचारी, उस सेक्शन का निरीक्षण कर ले और यह प्रमाण-पत्र न दे दे की लाइन गाड़ियों के यातायात के लिए सुरक्षित है।
4. इकहरी लाइन प्रणाली अवरुद्ध लाइन के दोनों ओर के निकटतम स्टेशनों के बीच, जहाँ अप और डाउन लाइनों के बीच क्रॉस-ओवर दिया गया है, चालू की जायेगी। यदि उपरोक्त दोनों स्टेशनों के बीच कोई मध्यवर्ती ब्लाक हट हो तो उसे बन्द समझा जायेगा और ऐसे ब्लाक हट पर ब्लाक इन्स्ट्रूमेंट के कम्प्यूटेटर को गाड़ी लाइन पर है" दशा में तब तक लाक रखा जायेगा जब तक इकहरी लाइन प्रणाली चालू है। कम्प्यूटेटरों को भी जहाँ कहीं सम्भव हो स्टेशन मास्टर की चाभी से उसी स्थिति में ताला बन्द किया जायेगा। ऐसे मामलों में जहाँ कम्प्यूटेटरों को "गाड़ी लाइन पर है" स्थिति में रखना सम्भव न हो, जैसे डायडो इन्स्ट्रूमेंट में, तो ब्लाक इन्स्ट्रूमेंट को उपयोग में नहीं लाया जायेगा और सतर्कता संकेतक को ब्लाक इन्स्ट्रूमेंट के हथ्थे पर लटका दिया जायेगा। ऐसी ब्लाक हट के सिगनल हर समय 'आन' स्थिति में रखे जायेंगे तथा लोको पायलट इनको निकटवर्ती चालू ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा जारी किये गये निर्धारित फार्म पर, लिखित प्राधिकार प्राप्त करके पास करेगा।
5. सभी गाड़ियों इकहरी लाइन के लिए उपयोग में आने वाले विद्युत संचार यंत्रों के लिए दिये गये नियमों के अनुसार चलाई जायेंगी तथा 'आगमन अनुमति' ब्लाक इन्स्ट्रूमेंट से सम्बद्ध टेलीफोन या कन्ट्रोल टेलीफोन या वी.एच.एफ सेट द्वारा प्राप्त की जायेगी।
6. ब्लाक सेक्शन के उस भाग पर जहाँ इकहरी लाइन प्रणाली चालू की गयी है, के सभी स्टेशनों पर अवरुद्ध और गैर अवरुद्ध दोनों लाइनों से सम्बन्धित ब्लाक इन्स्ट्रूमेंट जब तक इकहरी लाइन की कार्य-प्रणाली चालू है तब तक गाड़ी लाइन पर है की स्थिति में रखे जायेंगे। जहाँ कही सम्भव हो, कम्प्यूटेटर को भी उसी दशा में स्टेशन मास्टर की चाभी से लाक किया जायेगा। जिन मामलों में कम्प्यूटेटरों को 'गाड़ी लाइन पर है' स्थिति में रखना सम्भव न हो जैसा कि 'डायडो इन्स्ट्रूमेंट' में वहाँ ब्लाक इन्स्ट्रूमेंट को उपयोग में नहीं लाया जायेगा और सतर्कता संकेतक को ब्लाक इन्स्ट्रूमेंट के हथ्थे पर लटका दिया जायेगा। यदि गाड़ी गलत लाइन पर चल रही हो तो सभी स्थावर सिगनलों को 'आन' स्थिति में रखा जायेगा।
7. इस बात को निश्चित कर लेने के बाद कि कोई एक लाइन यातायात के लिए साफ है, इकहरी लाइन प्रणाली चालू करने के लिए प्रस्तावित प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए प्रभावित सेक्शन के दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर के लिए एक संदेश जारी करेगा। जिससे निम्नखिलित सूचानाएं होंगी:—
 - (क) इकहरी लाइन प्रणाली चालू करने का कारण।
 - (ख) किस लाइन पर इकहरी लाइन प्रणाली चालू करने का प्रस्ताव है।
 - (ग) लाइन के साफ होने की सूचना कहाँ से प्राप्त हुई।
 - (घ) किस स्थान पर लाइन अवरुद्ध है।
 - (ङ) लाइन पर गति प्रतिबन्ध, यदि कोई हो।
 - (च) मध्यवर्ती स्टेशनों के नाम, यदि कोई हों, जो काम नहीं करेंगे।
 - (छ) यदि कोई ट्रैप कांटे हों तो उसको क्लैम्प करने या कील (स्पाइक) लगा देने और ताला दिये जाने का आश्वासन।
 - (ज) यह आश्वासन की यदि सही लाइन पर चल रही हो तो अंतिम रोक (स्टाप) सिगनल 'आन' स्थिति में रखा जायेगा। यदि गाड़ी गलत लाइन पर चल रही है तो सभी स्थावर सिगनल 'आन' स्थिति में रखे जायेंगे और

3. If there is reasons to suspect that the line over which temporary single line working is to be introduced, is also fouled or damaged, temporary single line working must not be introduced until a responsible engineering official of the rank not less than of an Inspector has inspected that section and certified that the road is safe for the passage of trains.
4. Single line working shall be introduced between the nearest stations provided with crossover between Up and Down lines on either side of the obstruction. If there is an Intermediate Block Hut between the above two stations, the same shall be treated as closed and communicators of the Block Instruments at such Block Huts shall be kept locked in "Train on line" position throughout the period single line working is in force. The communicators shall be locked also in that position, with SM's key, wherever possible. In cases where it is not possible to keep the commentators in 'train on line' position, as in Dado Instruments, the block Instruments shall be put out of use and Caution Indicator hung on the handle of the Block Instruments. The signals at such Block Huts shall be kept in the 'on' position throughout and these shall be passed by the Loco Pilots on a written authority in the prescribed form issued by the Station Master of the adjoining block station in operation.
5. All trains will be worked in accordance with the rules for the use of electric speaking instruments on single line and "Line Clear" shall be obtained on the telephone attached to block Instruments or control telephone or VHF set.
6. At all stations on the portion of the section on which single line working has been introduced, the commutators of the Block Instruments pertaining to both obstructed and unobstructed lines shall be kept in "Train on line" position throughout the period single line working is in force. The commutators shall be locked also in that position with SMS key wherever possible. In case where it is not possible to keep the commutators in "Train on line" position, as in Dado Instruments, the Block Instruments shall be put out of the use and Caution Indicator hung on the handle of the Block Instruments. At these stations, if the train is, running on the right line, the last Stop signal shall be kept in the 'on' position. In case the train is running on the wrong line, all fixed signals shall be kept on the 'on' position.
7. After ascertaining that one of the line is clear for the passage of traffic, the Station Master proposing single line working shall issue a Message containing the following information under exchange of private numbers, to the Station Master at the other end of the affected section: -
 - (a) cause of introduction of single line working;
 - (b) the line by which single line working is proposed;
 - (c) Source of information that the said line is clear;
 - (d) place of obstruction;
 - (e) restriction of speed, if any, on the line;
 - (f) names of intermediate stations, if any, which would be out of use;
 - (g) assurance that the trap points, if any, have been spiked or clamped and padlocked;
 - (h) assurance that if the train is running on the right line, the last Stop signal shall be kept in the 'on' position. In case the train is running on the wrong line, all fixed signals shall be kept in the 'on' position, and;

- (झ) जिस ब्लाक स्टेशन से संदेश भेजा जा रहा है उस स्टेशन पर पहुंचने वाली या वहाँ से छूटने वाली अंतिम गाड़ी की संख्या और समय।
8. दूसरी ओर से स्टेशन मास्टर की प्राप्ति स्वीकृति, जिसकी प्राइवेट, नम्बर से पुष्टि कर दी गयी हो, मिल जाने पर इकहरी लाइन कार्य प्रणाली चालू किया जा सकता है। 'आगमन अनुमति' ब्लाक इन्स्ट्रूमेंट से संबद्ध टेलीफोन अथवा कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा वी0एच0एफ0 सेट पर प्राप्त की जायेगी तथा सामान्य और सहायक नियम पुस्तक के अध्याय XIV के अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों उपयुक्त लाइन क्लीयर टिकट पर चलाई जायेगी।
9. प्रत्येक गाड़ी या लाइट इंजन के लोको पायलट को दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन पर गाड़ी संचालन हेतु प्राधिकार निर्धारित फार्म टी/डी602 पर दिया जायेगा जिसमें निम्नलिखित निर्दिष्ट होंगे:-
- (i) जिस लाइन पर गाड़ी का लाइट इंजन को चलना है,
- (ii) किन-किन किलोमीटरों के बीच में अवरोध है।
- (iii) कोई प्रतिबन्ध जो रेल-पथ और निर्माण कार्य कर्मचारियों द्वारा लगाया गया हो, और
- (iv) सम्बन्धित लाइन पर ट्रेप कांटों के क्लैम्प करने या कील लगा देने का आश्वासन।
- (v) अंतिम रोक सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने के लिए लोको पायलट को प्राधिकार। यदि अंतिम रोक सिगनल प्रस्थान सिगनल हो तो इस सिगनल के नीचे से हैड सिगनल भी दिखाये जाने चाहिए।
10. अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन का कार्य चालन प्रारम्भ होने और जिस लाइन पर गाड़ी चलाई जाने वाली है उसकी सूचना मार्ग के सभी फाटक वाले गैगमेंनों को देने के बारे में प्रथम गाड़ी के लोको पायलट को दिये जाने वाले सतर्कता आदेश पर पृष्ठांकित किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो यह सूचना बाद वाली गाड़ियों द्वारा भी दी जायेगी।
11. अस्थायी इकहरी लाइन पर आने वाली प्रथम गाड़ी की चाल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे का प्रतिबन्ध होगा। उसके बाद की गाड़ियों रेल-पथ निर्माण कार्य कर्मचारियों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों का पालन करती हुई अपनी निर्धारित गति से जा सकती है। गलत लाइन पर यदि गाड़ी जा रही है तो लोको पायलट द्वारा फ्लैशर लाइट स्विच 'आन' कर दिया जायेगा। दुर्घटना सहायता गाड़ी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा को बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि दुर्घटना स्पेशल नियंत्रण अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो तथा कन्ट्रोल को उसकी सूचना दे दी गई हो।
12. दुर्घटना, खराबी, अवरोध या अन्य असामान्य कारण से जब कोई गाड़ी स्टेशनों के बीच से रूक जाती है और लोको पायलट को यह लगता है कि वह आगे नहीं बढ़ सकती तो साधारण नियम 6.03 के अनुसार उसकी रक्षा की जायेगी।
13. जब गाड़ी सही लाइन पर चल रही हो तो:-
- (क) प्रभावित सेक्शन के पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पैरा 9 (v) में निर्दिष्ट निर्धारित फार्म में स्टेशन मास्टर द्वारा जारी किये गये लिखित प्राधिकार पर 'आन' स्थिति में पार किया जा सकता है। यदि अंतिम रोक सिगनल ही प्रस्थान सिगनल हो तो लिखित प्राधिकार के अतिरिक्त इस सिगनल के नीचे से हैड सिगनल भी दिखाया जायेगा।
- (ख) प्रभावित खण्ड के अग्रिम स्टेशन का आगमन रोक सिगनल, यदि कोई हो तो, आफ किया जा सकता है।
14. जब गाड़ी गलत लाइन पर चल रही हो तो:-
- (क) समस्त फेंसिंग कांटों के सही सेट एवं लाक होने तथा ट्रेलिंग कांटों के सही सेट होने के बाद, जिनसे गाड़ी गुजरेगी, स्टेशन मास्टर द्वारा जारी लिखित प्राधिकार पर गाड़ी को स्टेशन से बाहर पाइलट किया जायेगा।

-
- (i) the number and timings of the last train which arrived or left the block station issuing the message.
8. On receipt of acknowledgment from the Station Master confirmed by a Private number, single line working may be introduced, 'Line Clear' will be obtained on the telephone attached to Block Instruments or Control Telephone or VHF set, and trains run on proper line clear ticket in accordance with the instructions contained in Chapter-XIV of the General and Subsidiary Rules Book.
9. Loco Pilot of each train shall be handed over an Authority for Temporary Single Line working on double line section on prescribed form no. T/D 602 indicating: -
- (i) The line on which the train or light engine is to run;
- (ii) The kilometerage between which the obstruction exists;
- (iii) Any restriction of speed which may have been imposed by Way and Works staff; and
- (iv) An assurance to the effect that any trap points on the line in question have been spiked or clamped.
- (v) Authority to pass the last Stop signal in the 'on' position. In case the last Stop signal is the starter, in addition to the written authority, he shall also be shown hand signals at the foot of this signal.
10. An endorsement will also be made on the Caution Order given to the Loco Pilot of the first train to inform all gate men and gangmen on the way about the introduction of temporary single line working and specifying the road on which the trains will run. This information shall be conveyed through the Loco Pilot of a subsequent train also, if necessary.
11. The speed of the first train passing over the temporary single line, will be restricted to 25 kilometers per hour. Subsequent trains may run at their booked speed, subject to observance of other speed restrictions imposed by way and Works staff. The Loco Pilot should switch "ON" the flasher light of the train engine while running on the wrong line. The speed limit of 25 KMPH may be relaxed for accident relief train provided the approval of the controlling officer of the Accident Special is obtained and the control is advised of the same.
12. When a train is stopped between stations on account of accident failure; obstruction or other exceptional cause and the Loco Pilot finds that it cannot proceed, it shall be protected as per G. R. 6.03.
13. In the case of a train proceeding on the right line: -
- (a) The last Stop Signal of the station in rear of the affected section may be passed in the 'on' position on a written authority issued by the Station Master in the prescribed form referred to in para 9(v), in case the last stop signal is the Starter, in addition to the written authority hand signals shall also be shown at the foot of this signal.
- (b) The approach Stop signal if any, of the station in advance of the affected section, may be taken off.
14. In the case of a train proceeding on the wrong line: -
- (a) The train shall be piloted out of the station on a written authority issued by the Station Master after all the facing points have been correctly set and locked and trailing points correctly set, over which the trains will pass.

- (ख) अगले स्टेशन पर पहुंचने पर लोको पायलट अपनी गाड़ी को सही लाइन से सम्बन्धित प्रथम रोक सिगनल से सामने अथवा गलत लाइन पर (जिस पर वह रहा हो) से संबंधित अंतिम रोक सिगनल पर, जो पहले सामने आये रोक देगा।
- (ग) अग्रिम स्टेशन का स्टेशन मास्टर सिगनल (जो भी सर्वप्रथम गाड़ी के सामने आये) के नीचे एक वर्दी धारी रेल सेवक को प्रतिनियुक्त करेगा जो खतरे के हैंड सिगनल से गाड़ी को रोकेंगा और उसके पश्चात् उसे स्टेशन मास्टर द्वारा जारी किए गये लिखित प्राधिकार पर स्टेशन के अन्दर ले जायेगा।
- (घ) यदि लोको पायलट को पता चलता है कि गाड़ी को स्टेशन के अन्दर ले जाने के लिए सिगनल के नीचे किसी वर्दीधारी रेल सेवक को प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है तो सा0नि0 4.44 (1) का अनुपालन किया जायेगा।
15. जब अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन कार्य चालन लागू हो तब सम्मुख दिशा में पड़ने वाले सभी क्रास ओवर कांटे जिन पर गाड़ी गुजरेगी क्लैम्प किये जायेंगे उन पर ताला लगाया जायेगा।
16. सामान्य कार्य—चालन का पुनरारम्भ:-
- (क) इंजीनियरी विभाग के किसी जिम्मेदारी द्वारा इस बात का लिखित प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर कि रूकावट वाली लाइन गाड़ियों के आवागमन के लिए साफ और सुरक्षित है, स्टेशन मास्टर दूसरे स्टेशन या स्टेशनों को, यथा स्थिति सूचना देगा और प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा तथा सेक्शन नियंत्रक से विचार विमर्श करके यह निर्णय करेगा कि किस गाड़ी के गुजरने के पश्चात सामान्य कार्य चालन का पुनरारम्भ किया जाय।
- (ख) जब दोहरी लाइन कार्य चालन का पुनरारम्भ हो जाय तब ब्लाक इन्स्ट्रूमेंट और सभी स्थावर सिगनल तथा मध्यवर्ती ब्लाक हट भी जो बन्द समझे जा रहे थे, तुरन्त प्रयोग में लाये जायेंगे। सब सम्बन्धित स्टेशनों को गाड़ी रजिस्टर पुस्तिका में दोहरी लाइन कार्य चालन के निलंबित होने का समय, इकहरी लाइन कार्यचालन के प्रारम्भ करने का समय और सामान्य कार्यचालन के पुनरारम्भ होने का समय भी लिखा जायेगा। सामान्य कार्य चालन के प्रारम्भ करने का समय और सामान्य कार्य चालन के पुनरारम्भ होने का समय भी लिखा जायेगा। सामान्य कार्यचालन के पुनरारम्भ के पश्चात सेक्शन में प्रवेश करने वाला गाड़ी का लोको पायलट रास्ते के दौरान सभी फाटक वालों और गैंगमैनों को सामान्य कार्य चालन के पुनरारम्भ के सम्बन्ध में सूचित करेगा।
17. अस्थायी तौर पर इकहरी लाइन प्रणाली से सम्बन्धित सभी रिकार्ड स्टेशन पर रखे जायेंगे तथा सेक्शन के यातायात निरीक्षक को उसकी जांच करनी चाहिए और अपनी रिपोर्ट रेल मण्डल प्रबन्धक के पास सामान्य कार्य चालन के पुनरारम्भ हो जाने के सात दिन के अन्दर भेज देनी चाहिए।



-
- (b) On approaching the next station, the Loco Pilot shall bring his train to a stop opposite the first Stop signal pertaining to the right line or at the last Stop signal pertaining to the wrong line (on which he is running), whichever he comes across first.
- (c) The Station Master of the station in advance shall depute railway servant in uniform at the foot of the signal (whichever the train would encounter first) who shall stop the train on hand danger signal and thereafter pilot it into the station on a written authority issued by the Station Master.
- (d) If the Loco Pilot finds that no railway servant in uniform has been deputed at the foot of the signal to pilot the train into the station, G.R. 4.44(1) shall be observed.
15. All the cross over points in the facing direction over which the train shall proceed, while temporary single line working is in force, shall be clamped and padlocked.
16. Resumption of normal working:-
- (a) On receipt of a written certificate from a responsible Engineering Official that the obstructed track is free and safe for passage of trains, the Station Master will issue a message to the other station or stations, as the case may be, under exchange of private numbers and decide, in consultation with Section Controller the train after passage of which, the normal working has to be introduced.
- (b) When Double line working is introduced the Block Instruments and all fixed signals including those of Intermediate Block Huts which were treated as closed, shall be brought into use immediately. An entry shall also be made in the Train Register Books of all stations concerned showing the time double line working was suspended, time single line Working was introduced and the time normal working was resumed. The Loco Pilot of the first train entering the section after normal working is resumed shall inform all Gate men and Gate men on the way about the resumption of normal working.
17. All the records in connection with the temporary single line working shall be retained at the station and the Traffic Inspector of the section must scrutinize them and submit his report to the Divisional Railway Manager within seven days of the resumption of normal working.

